INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI-110 001

F.No.21-60/2021-CDN

Date: 22.10.2021

ENDORSEMENT

Sub: - Central Civil Service-implementation of NPS-rule-2021 - Regarding.

Department of Pension and Pensioners' welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi has issued DOP and PW Gazette Notification dated 24th September, 2021 regarding above subject. The above mentioned DOP and PW Gazette Notification dated 24th September, 2021 is being uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information and necessary action.

Meena
22/X/21

(Jitender Kumar Meena)
Under Secretary (GAC), ICAR

Distribution:-

1. All the Directors/ Project Directors/ NRCs/ PDs/ ZPDs/ Bureaux/ ATARIs for information and compliance.
2. All officers/ Sections at ICAR Krishi Bhawan/ KAB-I & II/ NASC.
3. Sr. PPS to DG, ICAR/ PPS to FA, ICAR/ PPS to Secretary, ICAR
4. Media Unit for placing on the ICAR Website.
5. Guard file/ spare copies.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229930
CG-DL-E-24092021-229930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/आश्विन 2, 1943
No. 542] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 658(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड(5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों को, जिसमें रक्षा सेवाओं के सिविल सरकारी सेवक सम्मिलित हैं, लागू होंगे और जिन पर केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 लागू होते हैं:

परंतु ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या जिसे निःशक्तता होने के कारण सेवा से हटाया जाता है या जो अशक्तता होने के कारण सेवानिवृत्त होता है और जिसने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 में दिए विकल्प का प्रयोग किया था, उसे उपदान का संदाय उक्त नियमों के अनुसार किया जाएगा।

3. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) (क) 'लेखा अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसका पदीय पदनाम चाहे जो भी हो, किसी मंत्रालय या विभाग में, लेखाओं के विभागीकरण की स्कीम के अंतर्गत कार्यरत है, जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय या विभाग या मंत्रालय की प्राप्तियों, भुगतानों, आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा कार्यों के लिए उत्तरदायी है और इसमें महालेखाकार के अधीनस्थ अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के खातों या खातों के किसी भाग के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है;

(ख) 'आवंटिति' से ऐसा सरकारी सेवक अभिप्रेत है; जिसे अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर या अन्यथा सरकारी आवास आवंटित किया गया है;

(ग) 'औसत परिलब्धियां' से वे औसत परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जो नियम 7 के अनुसार अवधारित की गई हों;

(घ) 'परिलब्धियां' से नियम 6 में यथा निर्दिष्ट परिलब्धियां अभिप्रेत है;

(ङ) 'प्ररूप' से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'सरकारी शोध्य' से नियम 45 के उपनियम (3) में यथानिर्दिष्ट शोध्य अभिप्रेत है;

(ज) 'उपदान' में इन नियमों के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान सम्मिलित है;

(झ) 'अवयस्क' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो;

(ञ) 'अर्हक सेवा' से कर्तव्य पर रह कर या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए लेखे में ली जाएगी;

(ट) 'सेवा पुस्तिका' के अंतर्गत सेवा वृत्त, यदि कोई हो, है।

2. जिन शब्दों या पदों का यहां उपयोग किया गया है और जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु मूल नियम, 1922 अथवा केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें उन नियमों में क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय 2

साधारण शर्तें

4. उपदान के दावों का विनियमन - (1) उपदान का कोई भी दावा, उस समय, जब सरकारी सेवक यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, प्रवृत्त इन नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) जिस दिन सरकारी सेवक, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है, उसके कार्य का अंतिम दिन माना जाएगा और सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख भी कार्य का दिन मानी जाएगी।

5. उपदान रोकने का राष्ट्रपति का अधिकार - (1) राष्ट्रपति उपदान को पूर्णतः या अंशतः रोकने, और सरकार को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः उपदान में से वसूल करने का आदेश देने का अधिकार उस दशा में अपने पास आरक्षित रखते हैं जब सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए, संस्थित की गई किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है:

परंतु इस नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

(2) (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां, सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात, इस नियम के अधीन की कार्यवाहियां समझी जाएंगी और वे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारंभ की गई थीं, उसी रीति से जारी रखी जाएंगी और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, मानो वह सरकारी सेवक सेवा में बना रहा हो:

परंतु जहां विभागीय कार्यवाहियां राष्ट्रपति के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाएं, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

(ख) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक और उनमें अंतिम आदेशों के पारित किए जाने तक सरकारी सेवक को कोई उपदान संदेय नहीं होगा।

(3) राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और इन नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश की पुनरीक्षा कर सकते हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकते हैं कि वह आगे ऐसी जांच करें, जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जैसे वह ठीक समझें:

परंतु विधारित या प्रत्याहृत की जाने वाली उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसी परिशमनकारी अथवा विशेष परिस्थितियां जो पुनर्विलोकन के लिए समुचित आधार हैं या कोई नई सामग्री या साक्ष्य, जिसे पुनरीक्षाधीन आदेश के पारित किए जाने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या उपलब्ध नहीं थी और जो मामले के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रभाव रखती है के नोटिस में आने या लाए जाने पर, राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं;

परंतु विधारित या प्रत्याहृत की जाने वाली उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख को, जिसको आरोपों का कथन सरकारी सेवक या पेंशनभोगी को जारी किया गया है अथवा यदि सरकारी सेवक किसी पूर्वत्तर तारीख से निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को, संस्थित हुई समझी जाएंगी; और

(ख) न्यायिक कार्यवाहियां,-

(i) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को जिसको किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो, और

(ii) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को जिसको वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है,

संस्थित हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 3

परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां

6. परिलब्धियां- (1) इन नियमों के अधीन संदेय उपदान की रकम के अवधारण के प्रयोजन के लिए, 'परिलब्धियां' पद से मूल नियम, 1922 के नियम 9(21)(क)(i) में यथापरिभाषित मूल वेतन अभिप्रेत है, जो सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अथवा अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था, और इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को मंजूर किया गया प्रैक्टिस बंदी भत्ता भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, उपदान की संगणना के लिए वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि को परिलब्धियां माना जाएगा।

(2) जहां कोई सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से अनुपस्थित था या ऐसी छुट्टी पर था जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है या निलंबित किए जाने के पश्चात सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था, तो वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियां होंगी:

परंतु [उप-नियम (5) में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि से भिन्न] वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

(3) जहां कोई सरकारी सेवक, अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व ऐसी छुट्टी पर, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है, किसी स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में कोई उच्चतर नियुक्ति धारित करने के पश्चात चला गया था, वहां ऐसी उच्चतर नियुक्ति पर ली गई परिलब्धियों की प्रसुविधा केवल तभी दी जाएगी, जब यह प्रमाणित कर दिया जाए कि यदि सरकारी सेवक छुट्टी पर न गया होता तो वह उस उच्चतर नियुक्ति पर बना रहता।

(4) जहां कोई सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित रहा था अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उस अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती तो वे परिलब्धियां, जो उसे ऐसी छुट्टी पर जाने से या निलंबित किए जाने से ठीक पूर्व मिल रही थी, इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियां होंगी।

(5) जहां कोई सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा मृत्यु से ठीक पूर्व, सेवा में रहते हुए अर्जित छुट्टी पर था और उसने ऐसी वेतनवृद्धि अर्जित की थी जो रोकी नहीं गई थी तो ऐसी वेतनवृद्धि भले ही वस्तुतः न ली गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग होगी।

परंतु यह तब जबकि वेतनवृद्धि एक सौ बीस दिन से अनधिक की अर्जित छुट्टी की अवधि के दौरान, या जहां ऐसी छुट्टी एक सौ बीस दिन से अधिक की है, वहां ऐसी अर्जित छुट्टी के प्रथम एक सौ बीस दिनों के दौरान, अर्जित की गई थी।

(6) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग और भारतीय सशस्त्र बलों में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सरकारी सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां माना जाएगा।

(7) विदेश सेवा में रहते हुए सरकारी सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा और वह वेतन जो उसने सरकार के अधीन लिया होता यदि वह विदेश सेवा में न गया होता, केवल उसे परिलब्धियां माना जाएगा।

(8) जहां कोई पेंशनभोगी जो सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित किया जाता है और पुनर्नियोजन पर जिसके वेतन में से मासिक पेंशन से अनधिक रकम कम कर दी जाती है, वहां उसके मासिक पेंशन का वह अंश जो उसके वेतन से कम कर दिया गया है, परिलब्धियां माना जाएगा।

7. औसत परिलब्धियां - (1) औसत परिलब्धियां सरकारी सेवक की सेवा के अंतिम दस माह के दौरान उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएंगी।

(2) जहां कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थित था जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है या निलंबित किए जाने के पश्चात सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था, वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, औसत परिलब्धियां अवधारित करने के लिए लेखे में ली जाएंगी।

परंतु [उप-नियम (4) में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि से भिन्न] वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

(3) जहां कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस माह के दौरान कर्तव्य से असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित रहा था, अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती, तो छुट्टी की अथवा निलंबन की पूर्वोक्त अवधि की औसत परिलब्धियों की गणना करने में अवहेलना कर दी जाएगी और दस माह पूर्व की उतनी ही अवधि सम्मिलित कर ली जाएगी और जहां महीने के अंशों को जोड़ा जाता है, ताकि एक पूरा महीना बन जाए, इस प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि एक महीने में तीस दिन है।

(4) जहां कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान अर्जित छुट्टी पर था और जिसने ऐसी वेतनवृद्धि अर्जित की थी जो रोकी नहीं गई थी, ऐसी वेतनवृद्धि भले ही वस्तुतः न ली गई हो, औसत परिलब्धियों में सम्मिलित कर ली जाएगी।

परंतु यह तब जबकि वेतनवृद्धि एक सौ बीस दिन से अनधिक की अर्जित छुट्टी की अवधि के दौरान, या जहां ऐसी छुट्टी एक सौ बीस दिन से अधिक की है, वहां ऐसी अर्जित छुट्टी के प्रथम एक सौ बीस दिनों के दौरान, अर्जित की गई थी।

अध्याय 4

अर्हक सेवा

8.अर्हक सेवा का प्रारम्भ - *इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक की अर्हक सेवा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिससे वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में पहली बार नियुक्त हुआ था:*

परंतु यह तब जब स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के पश्चात उसी अथवा किसी अन्य सेवा या पद में अधिष्ठायी नियुक्ति व्यवधान रहित रूप में हुई हो।

9. वे शर्तें जिनके अध्यधीन सेवा अर्हक होती है – (1) सरकारी सेवक की सेवा तब तक अर्हक नहीं होगी जब तक उसके कर्तव्य और उसका वेतन सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अवधारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं कर दिए जाते।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" अभिव्यक्ति से सरकार के अधीन की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसके लिए अदायगी उस सरकार द्वारा भारत के समेकित निधि में से अथवा उस सरकार द्वारा प्रशासित किसी स्थानीय निधि में से की जाती है।

(2) राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसे किसी ऐसी सेवा या पद पर जिसे ये नियम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है, यथास्थिति, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा, यदि कोई हो, जिसके पश्चात व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो अथवा उस सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा, अर्हक होगी।

10. परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना– किसी पद पर परिवीक्षा पर की गई सेवा की, यदि उसके पश्चात उसी अथवा किसी अन्य पद पर पुष्टि हो जाती है तो अर्हक होगी।

11. प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा की गणना- प्रशिक्षु के रूप में की गई कोई भी सेवा, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग अथवा रक्षा लेखा विभाग में अधीनस्थ लेखा परीक्षा अथवा लेखा सेवा प्रशिक्षु की दशा में के सिवाय, अर्हक नहीं होगी

12. छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना- सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टी की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी:

परंतु चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, उस छुट्टी की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी सरकारी सेवक को –

(i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण करने या पुनःग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण; या

(ii) सरकारी सेवक के शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझा जानेवाला उच्च अध्ययन करने के लिए,

मंजूर की गई है।

13. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना– सरकार आदेश द्वारा, यह विनिश्चित कर सकेगी कि उस सरकार के अधीन समूह 'क' या समूह 'ख' पद में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

(2) सरकार के अधीन समूह 'ग' पद में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(3) ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिनके लिए, नियमित नियोजन पर तैनाती से पूर्व कार्य से संबंधित विभागीय प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है, प्रशिक्षण की अवधि को उपदान के लिए अर्हक सेवा माना जा सकेगा, यदि प्रशिक्षण के तुरंत बाद नियुक्ति की जाती है और समूह 'ग' कर्मचारियों को हितलाभ अनुज्ञेय होगा, भले ही संबंधित अधिकारियों को पद का वेतनमान न दिया गया हो किन्तु मामूली भत्ता दिया गया हो।

14. निलंबन की अवधियों की गणना– सरकारी सेवक ने जो अवधि आचरण की जांच होने तक निलंबित रहते हुए व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा केवल मामूली शास्ति लगायी गई है अथवा निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है वहां, अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी; अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

15. पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का समपहरण- सरकारी सेवक के किसी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने से उसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी।

16. बहाली पर विगत सेवा की गणना – (1) ऐसा सरकारी सेवक, जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है, हटा दिया गया है अथवा अनिवार्य रूप से निवृत्त कर दिया गया है, किन्तु अपील पर अथवा पुनर्विलोकन पर बहाल कर दिया गया है, अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कराने का हकदार है।

(2) यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तथा बहाली की तारीख के बीच सेवा में जितनी अवधि का व्यवधान हुआ है, उस अवधि और निलंबन की, यदि कोई हो, अवधि की गणना तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, जब तक उसे उस प्राधिकारी के, जिसने बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कर्त्तव्य अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

17. पदत्याग करने पर सेवा का समपहरण– (1) किसी सेवा या पद से पदत्याग करने पर, तब के सिवाय विगत सेवा समपहृत हो जाएगी जब नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा लोकहित में ऐसा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा दे दी जाती है।

(2) पदत्याग से विगत सेवा का समपहरण नहीं होगा यदि ऐसा पदत्याग, समुचित अनुज्ञा से, ऐसी सरकार के अधीन वहां जहां सेवा अर्हक होती है, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए किया गया हो।

(3) उप-नियम (2) के अधीन आने वाले किसी मामले में सेवा का व्यवधान, जो दो विभिन्न स्थानों पर दो नियुक्तियों के कारण हो गया हो और जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यभार-ग्रहण करने की अवधि से अधिक न हो, सरकारी सेवक को उसके कार्यमुक्त होने की तारीख को शोध्य किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर करके अथवा उस सीमा तक जिस तक वह अवधि उसके शोध्य अवकाश से पूरी न होती हो, वर्तमान संगठन द्वारा उसे औपचारिक रूप से माफ करके दूर कर दिया जाएगा।

(4) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अधीन किसी व्यक्ति को उसका पदत्याग वापस लेने और पुनः कार्यग्रहण करने का आदेश पारित किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे आदेश में सेवा में किसी व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है, किन्तु व्यवधान की अवधि अर्हक सेवा के रूप में गणना में नहीं ली जाएगी।

(5) नियम 32 के प्रयोजन के लिए दिए गए पदत्याग में सरकार के अधीन की गई विगत सेवा का समपहरण नहीं होगा।

(18) सेवा में व्यवधान का प्रभाव- सरकारी सेवक की सेवा में व्यवधान से, निम्नलिखित मामलों के सिवाय, उसकी विगत सेवा समपहृत हो जाएगी: -

(क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी;

(ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति तक जब तक अनुपस्थित व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से भर न लिया जाए;

(ग) निलंबन, वहां जहां उसके ठीक पश्चात उसी पद में या किसी भिन्न पद में बहाली की गई हो, या वहां जहां सरकारी सेवक दिवंगत हो जाता है या निलंबित रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने दिया जाता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है;

(घ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी अनर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो;

(ङ) कार्यग्रहण अवधि जब वह एक पद से किसी दूसरे पद पर स्थानांतरण पर हो।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित कर सकेगा।

(19) सेवा में व्यवधान को माफ किया जाना- सेवा पुस्तिका में तत्प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट संकेत के न होने पर, किसी सरकारी सेवक द्वारा सरकार के अधीन की गई सिविल सेवा के, जिसके अंतर्गत की गई ऐसी सिविल सेवा भी है जिसके लिए संदाय रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों से किया गया है, दो अवधियों के बीच का व्यवधान, स्वतः ही माफ़ किया गया समझा जाएगा और व्यवधान-पूर्व सेवा अर्हक सेवा समझी जाएगी।

(2) उपनियम (1) की कोई बात सेवा से पदत्याग, पदच्युति या हटाए जाने या किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान को लागू नहीं होगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

(20) प्रतिनियुक्ति की अवधि- किसी सरकारी सेवक द्वारा विदेश सेवा पर भारत में या विदेश में की गई सेवा अथवा संयुक्त राष्ट्र या किन्हीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा, उपदान के लिए अर्हक सेवा होगी यदि उक्त अवधि के लिए उपदान की बाबत अंशदान स्वयं सरकारी सेवक द्वारा या विदेशी नियोक्ता द्वारा किया गया है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, उपदान की मंजूरी के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में अवधि की गणना के लिए अंशदान की दर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

21. अठारह वर्ष की सेवा के पश्चात और सेवानिवृत्ति से पांच वर्ष पूर्व अर्हक सेवा का सत्यापन- (1) सरकारी सेवक द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा शेष रहने के प्रत्येक अवसर पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित अर्हक सेवा की अवधि प्ररूप 1 में उसे संसूचित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सरकारी सेवक को अस्थायी विभाग से किसी अन्य विभाग में अंतरित कर दिया जाता है अथवा जिस विभाग में वह पहले सेवा कर रहा था उसके बंद हो जाने की दशा में अथवा उस पद के, जिसे वह धारण कर रहा था अधिशेष घोषित कर दिए जाने की दशा में, उसकी सेवा का सत्यापन तब किया जाएगा जब ऐसी घटना घटती है।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा उपदान के लिए अर्हक होती है, शासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अध्याय 5

सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का विनियमन

22. सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान – (1) ऐसे सरकारी सेवक को, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो,–

(i) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्त होता है, अथवा

(ii) मूल नियम, 1922 के नियम 56 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 12 के अनुसार अधिवर्षिता की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवानिवृत्त हो गया है; अथवा

(iii) जिस प्रतिष्ठान में वह सेवा कर रहा था, उसमें अधिशेष घोषित किए जाने पर, अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देता है; अथवा

(iv) किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उसके अधीन जो पूर्णत: या पर्याप्तत: केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दिए जाने पर,

उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर किया जाएगा जो अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षटमासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर होगा, किन्तु यह उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक $16^{1/2}$ गुना होगा।

(2) जहां किसी सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुटुंब को नियम 24 के उप-नियम (1) में उपदर्शित रीति से मृत्यु उपदान नीचे की सारणी में दी गई दरों पर दिया जाएगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	अर्हक सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की दर
(i)	एक वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का दो गुना
(ii)	एक वर्ष या अधिक किन्तु पांच वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का छह गुना
(iii)	पांच वर्ष या अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का बारह गुना
(iv)	ग्यारह वर्ष या अधिक किन्तु बीस वर्ष से न्यून	परिलब्धियों का बीस गुना
(v)	बीस वर्ष या अधिक	अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, किन्तु अधिकतम परिलब्धियों के तैंतीस गुने के अधीन रहते हुए:

परंतु इस नियम के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम किसी भी दशा में बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान की अंतिम रूप से परिकलित रकम में रुपए का अंश हो वहां उसे अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां, नियम 6 के अनुसार संगणित की जाएगी:

परंतु यदि किसी सरकारी सेवक की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, शास्तिस्वरूप कम किए जाने से अन्यथा कम कर दी गई है तो नियम 7 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियों को, परिलब्धियां माना जाएगा:

परंतु यह और कि यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख, को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता भी इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा।

(4) जहां कोई सरकारी सेवक, जो सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र हो गया है, अपनी सेवानिवृत्ति, जिसके अंतर्गत शास्तिस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, की तारीख से पांच वर्ष के भीतर दिवंगत होता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ऐसी वार्षिकी के मद्धे, यदि कोई हो, मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुत: प्राप्त की गई धनराशि, उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान सहित, उसकी परिलब्धियों की बारह गुना रकम से कम हो, तो उस कमी के बराबर अवशिष्ट उपदान नियम 24 के उप-नियम(1) में उपदर्शित रीति से उसके कुटुंब को दिया जा सकेगा।

(5) इस नियम और नियम 23, 24, 25 और 26 के प्रयोजनों के लिए, सरकारी सेवक के संबंध में "कुटुंब" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) पुरुष सरकारी सेवक की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पत्नी या पत्नियां भी हैं;

(ii) स्त्री सरकारी सेवक की दशा में, पति जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति: भी है;

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तकगृहित पुत्र भी है;

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तकगृहीत पुत्रियां भी हैं;

(v) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तकगृहीत पुत्रियां भी हैं;

(vi) पिता जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तकग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक माता-पिता भी हैं;

(vii) माता जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तकग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक माता-पिता भी हैं;

(viii) अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिनके अंतर्गत सौतेले भाई भी हैं;

(ix) अविवाहित बहनें और विधवा बहनें, जिनके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;

(x) विवाहित पुत्रियां, और

(xi) पूर्व मृत पुत्र की संतान।

स्पष्टीकरण – (1) अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, को संपूरित छमाही अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) किसी सरकारी सेवक द्वारा आत्महत्या करने की दशा में भी मृत्यु उपदान अनुज्ञेय होगा।

23. नामनिर्देशन- (1) सरकारी सेवक किसी सेवा या पद में अपने प्रारम्भिक पुष्टिकरण पर प्ररूप 2 में, एक नामनिर्देशन करेगा जिसमें नियम 22 के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त किया जाएगा:

परंतु नामनिर्देशन करते समय,–

(i) यदि सरकारी सेवक का कोई कुटुंब है तो, नामनिर्देशन उसके कुटुंब के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा,

या

(ii) यदि सरकारी सेवक का कोई कुटुंब नहीं है तो, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।

(2) जहां कोई सरकारी सेवक उप-नियम(1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो वह नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उपदान की सारी रकम आ जाए।

(3) सरकारी सेवक नामनिर्देशन में यह उपबंध कर सकेगा,–

(i) कि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती की बाबत जिसकी मृत्यु सरकारी सेवक से पहले ही हो जाए अथवा जिसकी मृत्यु सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने के पश्चात किन्तु उपदान की रकम प्राप्त किए बिना ही हो जाए तो उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को चला जाएगा जिसे नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यदि नामनिर्देशन करते समय सरकारी सेवक का कोई ऐसा कुटुंब हो जिसमें एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके कुटुंब के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा।

परंतु यह और कि जहां कि किसी सरकारी सेवक के अपने कुटुंब में केवल एक ही व्यक्ति हो और नामनिर्देशन उसी के पक्ष में किया गया हो वहां सरकारी सेवक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में, चाहे वह निगमित हो या न हो, अनुकल्पी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों का नामनिर्देशन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) कि उसमें दी गई किसी आकस्मिकता के घटित होने पर वह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

(4) ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसका नामनिर्देशन करते समय कोई कुटुंब न हो, किया गया नामनिर्देशन अथवा उप-नियम(3) के खंड(i) के द्वितीय परंतुक के अधीन सरकारी सेवक द्वारा उस दशा में, जबकि उसके कुटुंब में एक ही सदस्य हो, किया गया नामनिर्देशन,

उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा जब उस सरकारी सेवक का, यथास्थिति, बाद में कोई कुटुंब हो जाए अथवा उसके कुटुंब में कोई और सदस्य आ जाए।

(5) सरकारी सेवक, कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना भेज कर नामनिर्देशन किसी भी समय रद्द कर सकेगा:

परंतु वह ऐसी सूचना के साथ, इस नियम के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की, जिसकी बाबत उप-नियम(3) के खंड(i) के अधीन नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, मृत्यु होते ही अथवा ऐसी कोई घटना घटित होने पर, जिसके कारण नामनिर्देशन उप-नियम(3) के खंड(ii) के अनुसार अविधिमान्य हो जाए, सरकारी सेवक कार्यालय अध्यक्ष को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें वह नामनिर्देशन को रद्द कर देगा और साथ ही इस नियम के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेज देगा।

(7) (क) इस नियम के अधीन सरकारी सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन जिसके अंतर्गत उसके रद्दकरण, यदि कोई हो, के लिए दी गई प्रत्येक सूचना भी है, कार्यालय अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष ऐसे नामनिर्देशन की प्राप्ति पर, तुरंत यह सत्यापित करेगा कि सरकारी सेवक द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि, सरकारी सेवक का कोई कुटुंब है, तो नियम 22 के उप नियम(5) में यथानिर्दिष्ट कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्यों के पक्ष में नामनिर्देशन किया गया है और उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नामनिर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा:

परंतु कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिर्देशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।

(ग) नामनिर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।

(8) सरकारी सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्दकरण के लिए दी गयी प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक जिस तक वह विधिमान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वह कार्यालय अध्यक्ष को प्राप्त होती है।

24. वे व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय है- (1) (क) नियम 22 के अधीन संदेय उपदान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार नियम 23 के अधीन नामनिर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है;

(ख) यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान, नीचे उपदर्शित रीति से दिया जाएगा, अर्थात –

(अ) यदि नियम 22 के उप-नियम(5) के खंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v) में यथावर्णित कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य उत्तरजीवी हों तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में,

(आ) यदि उपखंड(क) में यथावर्णित कुटुंब के ऐसे कोई भी सदस्य उत्तरजीवी नहीं है किन्तु नियम 22 के उप-नियम (5) के खंड (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) में यथावर्णित एक या एक से अधिक सदस्य उत्तरजीवी हैं तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में।

(2) यदि सरकारी सेवक की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात, नियम 22 के उप-नियम(1) के अधीन अनुज्ञेय उपदान प्राप्त किए बिना ही हो जाती है तो उपदान उप-नियम(1) में उपदर्शित रीति से कुटुंब को संवितरित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे सरकारी सेवक के, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात हो जाती है, कुटुंब की किसी स्त्री सदस्य, अथवा उस सरकारी सेवक के किसी भाई के उपदान के किसी अंश को पाने के अधिकार पर उस दशा में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब सरकारी सेवक की मृत्यु के पश्चात और उपदान के अपने अंश को प्राप्त करने से पूर्व वह स्त्री सदस्य विवाह कर लेती है अथवा पुनर्विवाह कर लेती है अथवा भाई अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(4) जहां कि नियम 22 के अधीन मृतक सरकारी सेवक के कुटुंब के किसी अवयस्क सदस्य को कोई उपदान मंजूर किया जाये वहां वह उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगा।

स्पष्टीकरण – (1) अवयस्क के उपदान के अंश का भुगतान, अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक को किया जाएगा, यदि कोई हो, और किसी नैसर्गिक संरक्षक के न होने पर, अवयस्क के उपदान के अंश का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो संरक्षकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

(2) किसी नैसर्गिक संरक्षक के न होने पर, अवयस्क के उपदान के अंश के बीस प्रतिशत का भुगतान संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, किन्तु प्रोफॉर्मा क में क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को किया जा सकता है और अवयस्क के उपदान की शेष रकम संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को संदेय होगी।

(3) कुटुंब का ऐसा कोई सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई है या जो वस्तुत: संदाय प्राप्त करने से पहले अपात्र हो गया है, को देय उपदान का अंश, नियम 24 के उप-नियम(1) के खंड(ख) के अनुसार कुटुंब के शेष सदस्यों के बीच बराबर अंशों में बांटा जाएगा।

(4) संवितरण प्राधिकारी मृत्यु या सेवानिवृत्ति उपदान का वास्तविक संदाय करने से पूर्व यह अभिनिश्चित करेंगे कि कुटुंब के सभी सदस्य जिनके पक्ष में संस्वीकृति जारी की गई थी, योग्य हैं। यदि नहीं, और यदि उनमें से किसी की भी मृत्यु हो गई है, तो कुटुंब के शेष सदस्यों के पक्ष में संशोधित संस्वीकृति जारी करने के लिए इस तथ्य की सूचना संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल दी जाएगी।

25. किसी व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने से विवर्जन – (1) जहां कि कोई व्यक्ति, जो सेवा काल में सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में, नियम 24 के अनुसार उपदान प्राप्त करने का पात्र है, सरकारी सेवक की हत्या कारित करने के अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध कारित करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने का उसका दावा उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) जहां कि उप-नियम(1) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर, संबद्ध व्यक्ति –

(क) सरकारी सेवक की हत्या कारित करने के लिए या हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने से वह विवर्जित कर दिया जाएगा जो कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हो, संदेय होगा;

(ख) सरकारी सेवक की हत्या कारित करने या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उपदान का उसका अंश उसे संदेय हो जाएगा।

(3) उप-नियम(1) और उप-नियम(2) के उपबंध नियम 24 के उप-नियम(2) में निर्दिष्ट असंवितरित उपदान को भी लागू होंगे।

26. सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान का व्यपगत होना – जहां कि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान की रकम प्राप्त किए बिना हो जाती है और वह अपने पीछे कोई कुटुंब नहीं छोड़ता है, और,-

(क) उसने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, या

(ख) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है,

वहां ऐसे सरकारी सेवक की बाबत, नियम 22 के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम सरकार को व्यपगत हो जाएगी:

परंतु मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम उस व्यक्ति को संदेय होगी जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा विचाराधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

27. अधिवर्षिता उपदान – नियम 22 के अनुसार अधिवर्षिता उपदान ऐसे सरकारी सेवक को प्रदान किया जाएगा जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा यदि सरकारी सेवक की सेवा को सेवानिवृत्ति के पश्चात विस्तारित किया गया हो, तो अधिवर्षिता की आयु के पश्चात सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर प्रदान किया जाएगा।

28. अशक्त उपदान – नियम 22 के अनुसार ऐसे सरकारी सेवक को अशक्त उपदान प्रदान किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 16 के अनुसार किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण, जिससे वह सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाता है और जिसने विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ लेने के लिए उन नियमों के नियम 10 के अधीन डिफ़ाल्ट विकल्प है:

परंतु जहां कि कोई सरकारी सेवक, जिसने विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभ लेने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन डिफ़ाल्ट विकल्प है और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(2016 का 49) के खंड 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवानिवृत्त हो जाता है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसार हितलाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्यवाही की

जाएगी।

29. सेवानिवृत्ति उपदान – ऐसा सरकारी सेवक, जो मूल नियम, 1922 के नियम 56 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 12 के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले ही सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त किया जाता है, जो अपने सेवारत प्रतिष्ठान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित अधिशेष कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करता है, नियम 22 के अधीन अनुज्ञेय उपदान का हकदार होगा।

30. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर उपदान - (1) शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत किए गए सरकारी सेवक को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसी दर पर जो, उसे उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय उपदान के दो-तिहाई से कम नहीं होगी, उपदान की मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) जब किसी सरकारी सेवक की दशा में राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश (चाहे वह मूल आदेश हो या अपील आदेश हो या पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश हो) पारित करते हैं जिसमें इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पूरे उपदान से कम उपदान दिया जाता है तब ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

31. पदच्युति या हटाने का प्रभाव - (1) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, उपदान समपहृत हो जाएगा।

परंतु उसे सेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, नियम 22 के उप-नियम(1) में उल्लिखित दरों पर संगणित सेवानिवृत्ति उपदान के दो-तिहाई से अनधिक अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकेगा।

32. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर हितलाभ–

(1) ऐसे सरकारी सेवक के बारे में, जिसे किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उसके अधीन, जो पूर्णतः या पर्याप्ततः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और उप-नियम (4) के अध्यधीन, वह ऐसा आमेलन होने पर नियम 22 के अनुसार ऐसे आमेलन की तारीख से अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान और परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु ऐसे निगम या कंपनी या निकाय से सेवानिवृत्ति होने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा और ऐसे निगम या कंपनी या निकाय में की गई सेवा की बाबत उपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो उस समय अनुज्ञेय होती यदि सरकारी सेवक सरकारी सेवा में बना रहता और उसी वेतन पर सेवानिवृत्त होता जो उसने उस निगम या कंपनी या निकाय से सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किया था।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध केंद्रीय सरकार के ऐसे सेवकों पर भी लागू होंगे, जिन्हें संयुक्त क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, जो पूर्णतः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रदेशों के संयुक्त नियंत्रण में हैं अथवा दो या दो से अधिक राज्य सरकार संघ शासित प्रदेशों के संयुक्त नियंत्रण में हैं।

(3) (क) जहां कि कोई सरकारी सेवक तत्काल आमेलन के आधार पर अथवा किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है, कार्यमुक्ति आदेश प्ररूप 3 में जारी किया जाएगा और कार्यमुक्ति आदेश में उस अवधि को उपदर्शित किया जाएगा जिसके भीतर सरकारी सेवक को निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करना होगा:

परंतु ऐसी अवधि को कार्यमुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(ख) कार्यमुक्ति की तारीख और निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शोध्य छुट्टी की अनुज्ञा देकर नियमित किया जा सकेगा और यदि ऐसी कोई शोध्य छुट्टी नहीं हो, तो अवधि को असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर नियमित किया जा सकेगा।

(ग) कार्यमुक्त करने वाला प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति हितलाभों की संस्वीकृति की कार्यवाही करने से पूर्व, निगम या कंपनी या निकाय में सरकारी सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित करेगा और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ववर्त्ती तारीख से सरकारी सेवक का त्यागपत्र स्वीकार करेगा।

(घ) कार्यमुक्त करने वाले विभाग में सरकारी सेवक का कोई भी पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखा जाएगा तथा निगम या कंपनी या निकाय में उसका आमेलन होने पर सरकार के साथ उसके सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे।

(4) यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में जिसमें सरकारी सेवक आमेलित किया जाता है, इन नियमों के अधीन उपदान योजना के समान उपदान योजना मौजूद है तो वह निम्न विकल्प का प्रयोग करने का हकदार होगा,-

(क) उप-नियम (1) के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों को प्राप्त करने के लिए, या

(ख) केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना उस निकाय में पेंशन के लिए करने के लिए।

(5) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में आमेलित किए जाने पर, जहां सरकारी सेवक उप-नियम (4) के खंड (ख) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, सरकार अपनी उपदान देयता का निर्वहन एकबारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम का संदाय करके करेगी और उपदान देयता में उस निकाय में आमेलन की तारीख तक की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान का पूंजीगत मूल्य सम्मिलित होगा।

(6) आमेलन की तारीख केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 15 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'निकाय' अभिव्यक्ति से स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय अभिप्रेत है।

33. लापता सरकारी सेवक की दशा में उपदान का संदाय – (1) जहां कि कोई सरकारी सेवक लापता हो जाता है तो कुटुंब संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करेगा और पुलिस से यह रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी सेवक का पता नहीं लगाया जा सका तथा रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी या सामान्य डायरी प्रविष्टि जैसी कोई अन्य रिपोर्ट हो सकती है।

(2) पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के छह मास के पश्चात कुटुंब सेवानिवृत्ति उपदान की मंजूरी के लिए उस संगठन, जहां सरकारी सेवक ने अंतिम सेवा की थी, के कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 4 में आवेदन कर सकता है।

(3) निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति उपदान संस्वीकृत किया जा सकता है, अर्थात्: -

(i) अभिनिश्चित करें कि सरकारी सेवक के संबंध में पुलिस में दर्ज की गई शिकायत और पुलिस द्वारा दी गई 'पता नहीं लगाया जा सका' रिपोर्ट सही है।

(ii) सरकारी सेवक के नामनिर्देशिती या आश्रितों से प्रोफार्मा- ख में एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र लिया जाएगा कि सेवानिवृत्ति उपदान को सरकारी सेवक को शोध्य संदाय के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ताकि वह बाद में आकर कोई दावा न कर सके।

(4) (क) कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्ति उपदान को मंजूर करने के लिए प्ररूप 5 में कागज-पत्र तैयार करेगा।

(ख) आवेदन की तारीख से तीन मास के भीतर कुटुंब को सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय किया जाएगा और किसी भी प्रकार के विलंब होने की दशा में, लोक भविष्य निधि पर लागू होने वाली दरों से ब्याज का संदाय किया जाएगा और नियम 44 के अनुसार विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

(ग) मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के बीच के अंतर का संदाय सेवक की मृत्यु के निर्णायक रूप से पुष्टि होने के पश्चात या पुलिस रिपोर्ट की तारीख से सात वर्ष की अवधि की समाप्ति पर होगा।

(5)कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक के सभी बकाया सरकारी शोध्यों का निर्धारण करेगा और उपदान के संदाय की संस्वीकृति से पूर्व नियम 45 के अनुसार उनकी वसूली करेगा।

अध्याय 6

उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना

34. उपदान के संदाय के लिए कागजातों की तैयारी - प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको सरकारी सेवक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला हो, एक वर्ष पूर्व अथवा उस तारीख को, जिसको वह सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, प्ररूप 6 में उपदान की मंजूरी के लिए कागजातों को तैयार करने का कार्य आरंभ कर देगा।

35. "बेबाकी पत्र" जारी करने के बारे में सम्पदा निदेशालय को प्रज्ञापना – (1) कार्यालय अध्यक्ष ऐसे सरकारी सेवक की, जिसके कब्जे में कोई सरकारी आवास था या है (जिसे इसमें इसके पश्चात आवंटिती कहा गया है) सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व, केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 22 के अनुसार सम्पदा निदेशालय को आवंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में "बेबाकी पत्र" जारी किए जाने के लिए लिखेगा।

36. अधिवर्षिता पर उपदान के संदाय के लिए कागजातों की तैयारी के प्रक्रम- (1) कार्यालयाध्यक्ष नियम 34 में निर्दिष्ट तैयारी की एक वर्ष की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा–

(क) पहला प्रक्रम - सेवा का सत्यापन - (i) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 21 के अधीन सत्यापित सेवा की पश्चातवर्ती सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं।

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत, वह यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे की अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, अप्रैल मास की वेतन पर्ची जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाए, के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा।

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) और उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालय अध्यक्ष, जिसके अधीन सरकारी सेवक वर्तमान में सेवारत है, उस कार्यालय के जिसमें सरकारी सेवक के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; कार्यालय अध्यक्ष को मामला सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(iv) उपखंड(iii) में निर्दिष्ट संसूचना की अभिप्राप्ति पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालय अध्यक्ष उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों को सत्यापित करेगा, और ऐसे किसी निर्देश के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रेषित करेगा।

परंतु सेवा की किसी अवधि के सत्यापित नहीं किए जा सकने की दशा में, इसे निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा।

(v) जहां कि उपखंड(iv) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां उपदान के लिए अर्हक समझी जाएंगी।

(vi) जहां कि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य संबंधित प्राधिकारी सेवा की किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना देने में असफल रहे थे, तो प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव ऐसी संसूचना नहीं दिए जाने के लिए उत्तरदायित्व नियत करेगा।

(vii) उपखंड(i), (ii), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व पूरी की जाएगी।

(viii) जहां कि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड(i) या उपखंड(ii) या उपखंड(iii) या उपखंड(iv) या उपखंड(v) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी सेवक को एक मास के भीतर सादे कागज पर एक लिखित कथन फ़ाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।

(ix) उपखंड(viii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिये गए तथ्यों पर विचार कर लेने के पश्चात कार्यालय अध्यक्ष सेवा के उस प्रभाग के बारे में यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी सेवक के उपदान की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है।

(x) यदि कोई सरकारी सेवक जानबूझकर कोई गलत जानकारी देते हुए पाया जाता है, जो उसे किसी ऐसे फायदे का हकदार बनाता है, जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं होता, तो इसका अर्थ गंभीर अवचार के रूप में लगाया जाएगा।

(ख) दूसरा प्रक्रम- सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति –

(i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों का पता करेगा, जिनका उपदान के लिए परिलब्धियों और अर्हक सेवा के अवधारण से सीधा संबंध है।

(ii) खंड(क) में यथाविनिर्दिष्ट, सेवा के सत्यापन को पूरा करने और उपखंड(i) में निर्दिष्ट लोपों, त्रुटियों और कमियों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

(iii) ऐसे लोप, त्रुटि या कमी जिसे पूरा न किया जा सके तथा सेवा की अवधि जिसके बारे में सरकारी सेवक ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया हो तथा सेवा का वह प्रभाग जो सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है और जिसे खंड(क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उसकी उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर उपदान के लिए अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा।

(iv) औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से, कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे में नहीं।

(ग) तीसरा प्रक्रम- जैसे ही दूसरा प्रक्रम पूरा होता है, किन्तु सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ मास पूर्व, कार्यालय अध्यक्ष –

(i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को उपदान के प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रस्तावित अर्हक सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति उपदान की संगणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को निदेश देगा कि यदि उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां स्वीकार्य नहीं है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारणों को दो मास के भीतर, कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

37. प्ररूप 6 के भाग I को पूरा करना – नियम 36 के उप-नियम(1) के अधीन आने वाले मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व, प्ररूप 6 का भाग I पूरा करेगा और अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात दो मास के भीतर प्ररूप 6 का भाग I पूरा करेगा।

38. उपदान के संदाय के लिए प्ररूप 6 और प्ररूप 7 कागजातों का लेखा अधिकारी को अग्रेषण-

(1) नियम 36 और नियम 37 की अपेक्षाओं का अनुपालन कर चुकने के पश्चात, कार्यालयाध्यक्ष लेखा अधिकारी को सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6, प्ररूप 7 में सह-पत्र सहित सरकारी सेवक की सम्यक रूप से भरी हुई एवं अदद्यतन सेवा पुस्तिका, और ऐसे अन्य दस्तावेज जिन पर उस सेवा के सत्यापन के लिए भरोसा किया गया हो, अग्रेषित करेगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष प्ररूप 6 और प्ररूप 7 की एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रख लेगा।

(3) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट प्ररूप सरकारी सेवक के अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात दो मास के भीतर लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

39. किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका उपदान से संबंध है लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना – जहां कि उपदान के संदाय के लिए प्ररूपों को लेखा अधिकारी को भेज देने के पश्चात, कोई ऐसी घटना घटती है जिसका संबंध अनुज्ञेय उपदान की रकम से है तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को तुरंत की जाएगी।

40. लेखा अधिकारी को सरकारी शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना – (1) नियम 45 में दिये गए सरकारी शोध्यों को परिनिश्चित और निर्धारित करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष उनकी विशिष्टियां लेखा अधिकारी को प्ररूप 7 में देगा।

(2) जहां कि उप-नियम(1) के अधीन लेखा अधिकारी को सरकारी शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना देने के पश्चात् कोई अतिरिक्त सरकारी शोध्य कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में आते हैं तो ऐसे शोध्यों की लेखा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

41. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न कारणों के लिए अनंतिम उपदान – (1) जहां कि नियम 36 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर भी, कार्यालयाध्यक्ष के लिए यह संभव न हो कि नियम 38 के उप-नियम(3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपदान प्ररूपों को लेखा अधिकारी को भेज सके, अथवा जहां कि यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपदान के संदाय के लिए प्ररूपों को लेखा अधिकारी को भेजा गया हो किन्तु लेखा अधिकारी द्वारा उपदान संदाय आदेश जारी करने से पूर्व और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष को प्ररूप लौटा दिए गए हों और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सरकारी सेवक के उपदान अंतिम रूप से निर्धारित और तय किए जाने के पूर्व उसके सेवानिवृत्त होने की संभावना हो, कार्यालय अध्यक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलभ्य हो और बिना विलंब किए अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(2) अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवानिवृत्ति होने की दशा में, जब तक कि सेवानिवृत्ति उपदान का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं हो जाता कार्यालयाध्यक्ष दो मास के भीतर अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की मंजूरी देगा।

(3) जहां कि उपदान की रकम विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न किन्हीं कारणों से अवधारित नहीं की जा सके, कार्यालयाध्यक्ष -

(क) दस प्रतिशत उपदान विधारित करते हुए, अनंतिम उपदान के रूप में सौ प्रतिशत उपदान प्राधिकृत करते हुए लेखा अधिकारी को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी प्रति सरकारी सेवक को पृष्ठांकित करेगा;

(ख) नियम 40 के उप-नियम(1) के अधीन उपदान से वसूली योग्य रकम मंजूरी पत्र में निर्दिष्ट करेगा और खंड(क) में निर्दिष्ट मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात, कार्यालयाध्यक्ष खंड(क) में विनिर्दिष्ट रकम और ऐसे शोध्यों की कटौती करके, यदि कोई हो, जो नियम 45 में विनिर्दिष्ट है, अनंतिम उपदान की रकम उसी रीति से निकालेगा जिस प्रकार स्थापन के वेतन और भत्ते निकाले जाते हैं।

(4) उप-नियम(2) या उप-नियम(3) के अधीन संदेय उपदान की रकम का, यदि आवश्यक हो, अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पूरी करने पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) (क) यदि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व अंतिम उपदान की रकम का अवधारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है, तो लेखा अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष को, सरकारी शोध्यों का, यदि कोई हो, जो अनंतिम उपदान का संदाय किए जाने के पश्चात जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात, उप-नियम(3) के खंड(ख) के अधीन संदत्त अनंतिम उपदान की रकम और अंतिम उपदान के अंतर का आहरण और संवितरण करने का निदेश देगा।

(ख)(i) जहां कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उप-नियम(3) के अधीन संवितरित की गई अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी की वह वास्तव में उसको संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे।

(ii) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक संदाय के लिए उत्तरदायी पदधारी अतिसंदाय के देनदार होंगे।

(6) जहां कि उप-नियम(5) के खंड(क) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि के भीतर उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम उपदान को अंतिम मानेगा और वह छह मास की अवधि की समाप्ति पर तुरंत प्राधिकार आदेश जारी करेगा।

(7) लेखा अधिकारी द्वारा उप-नियम(5) के खंड(क) या उप-नियम(6) के अधीन प्राधिकार आदेश जारी करने पर, कार्यालयाध्यक्ष उप-नियम(3) के खंड(क) के अधीन विधारित उपदान की रकम का, उन सरकारी शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात, जो उप-नियम(3) के खंड(ख) अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात जानकारी में आते हैं, संदाय सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को करेगा।

(8) जहां कि सरकारी सेवक सरकारी वास-सुविधा का आवंटिती है या था, विधारित राशि का संदाय सम्पदा निदेशालय से 'बेबाकी पत्र' प्राप्त होने पर किया जाएगा।

42. उपदान का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना - (1) (क) नियम 38 में निर्दिष्ट उपदान के संदाय के लिए प्ररूपों की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 6 के भाग 2 में लेखा मुखांकन अभिलिखित करेगा और उपदान की रकम निर्धारित करेगा तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

(ख) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्ति होने की दशा में, लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 6 के भाग 2 को पूरा करेगा, उपदान की रकम निर्धारित करेगा, शोध्यों को निर्धारित करेगा तथा कार्यालयाध्यक्ष से उपदान के संदाय के लिए प्ररूपों के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

(2) लेखा अधिकारी द्वारा उप-नियम(1) के खंड(क) के अधीन यथा अवधारित उपदान की रकम कार्यालयाध्यक्ष को इस टिप्पणी के साथ प्रज्ञापित की जाएगी कि वेतन एवं लेखा अधिकारी को एक बिल भेजकर उपदान की रकम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निकाली जा सकती है तथा उसमें से नियम 45 में निर्दिष्ट सरकारी शोध्य, यदि कोई हों, का समायोजन करने के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संवितरित की जा सकती है।

(3) नियम 46 के उप-नियम(5) के अधीन विधारित उपदान की रकम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रज्ञापित बकाया अनुज्ञप्ति फीस से समायोजित की जाएगी और अतिशेष का, यदि कोई हो, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को प्रतिदाय किया जाएगा।

43. प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक - (1) उस सरकारी सेवक की दशा में, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है, उपदान प्राधिकृत करने की कार्यवाही सेवाएं उधार लेने वाले विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) उस सरकारी सेवक की दशा में, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह किसी राज्य सरकार में या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त है, उपदान प्राधिकृत करने की कार्यवाही उस कार्यालयाध्यक्ष या काडर प्राधिकारी के द्वारा, जिसने राज्य सरकार या विदेश सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति की मंजूरी दी है, इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

44. उपदान के विलंबित संदाय पर ब्याज - (1) ऐसे सभी मामलों में जहां उपदान का संदाय, संदाय शोध्य होने की तारीख की पश्चातवर्ती तारीख से प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने के मामले भी सम्मिलित हैं, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है तो समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार लोक भविष्य निधि के लिए यथा लागू दर पर और ऐसी रीति में ब्याज संदत्त किया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि संदाय में विलंब सरकारी सेवक द्वारा उपदान के संदाय के लिए कागजातों के प्रक्रमण के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण नहीं हुआ है।

(2) उपदान के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के अपने कर्मचारियों और उसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग का सचिव विचार करेगा और जहां उस मंत्रालय या विभाग के सचिव का यह समाधान हो जाता है कि उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव ब्याज के संदाय की संस्वीकृति देगा।

(3) सचिव द्वारा उपनियम (2) के अधीन ब्याज का संदाय मंजूर कर दिए जाने के पश्चात् संबंधित मंत्रालय या विभाग ब्याज के संदाय के लिए राष्ट्रपति की संस्वीकृति जारी करेगा।

(4) ऐसे सभी मामलों में जिनमें संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा ब्याज के संदाय की संस्वीकृति दी गई है, ऐसा मंत्रालय या विभाग उस सरकारी सेवक या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान के संदाय में विलंब के उत्तरदायी पाए जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेगा।

स्पष्टीकरण – (1) जहां कि सेवानिवृत्ति उपदान के संदाय में अधिवर्षिता परसेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास से अधिक का विलंब हुआ हो, वहां समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज का संदाय किया जाएगा।

(2) उपदान के संदाय में विलंब और उसके लिए ब्याज के संदाय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुशासनिक या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं और जिसमें नियम (5) के अनुसार कार्यवाहियों की समाप्ति तक उपदान विधारित किया गया है,-

(क) जहां कि सरकारी सेवक को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर उपदान का संदाय किया गया है, ऐसी दशा में, जहां कि उपदान का संदाय उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास के बाद की अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज के संदाय की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ख) जहां कि अनुशासनिक या न्यायिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सरकारी सेवक की मृत्यु होने के कारण अनुशासनिक या न्यायिक कार्यवाहियां बंद कर दी जाती है, ऐसी दशा में, जहां उपदान का संदाय मृत्यु की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्राधिकृत किया जाता है, मृत्यु की तारीख से तीन मास के बाद की विलंबित अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज के संदाय की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ग) जहां कि सरकारी सेवक को अनुशासनिक या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर पूर्णत: दोषमुक्त नहीं किया जाता है और जहां सक्षम प्राधिकारी उपदान के संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय लेता है, ऐसी दशा में, जहां कि उपदान का संदाय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपदान संदाय आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्राधिकृत किया जाता है, ऐसी दशा में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेशों को जारी करने की तारीख से तीन मास के बाद की विलंबित अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज के संदाय की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(ii) अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्ति होने पर - सेवानिवृत्ति के ऐसे मामले या तो मूल नियम, 1922 के नियम 56 के खंड(ज) या खंड(ट) अथवा केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 12, 13, 16, 17 या 18 के अधीन होंगे और ऐसे मामलों में, जहां कि उपदान का संदाय सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास से अधिक अवधि के लिए विलंबित हो, सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास के बाद की विलंबित अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज के संदाय की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(iii) सेवा में रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर - जहां मृत्यु उपदान का संदाय, मृत्यु की तारीख से छह मास से अधिक अवधि के लिए विलंबित हो, वहां मृत्यु की तारीख से छह मास के बाद की विलंबित अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज का संदाय किया जाएगा और यदि किसी मामले में मृत्यु उपदान का संदाय एक से अधिक दावेदारों के दावे के कारण रोक दिया जाता है, तो ऐसे मामले, इन आदेशों के अनुसार ब्याज के संदाय के लिए स्वतः योग्य नहीं होंगे और इनका निर्णय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

(iv) जहां कि संबंधित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व की तारीख से परिलब्धियों के संशोधन अथवा उपदान से संबंधित नीति में बदलाव के कारण पूर्व में संदत्त उपदान की रकम में वृद्धि हो जाती है और जहां कि उपदान के अंतर का संदाय, परिलब्धियों को संशोधित करने या नियमों में परिवर्तन के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास से अधिक अवधि के लिए विलंबित हो,तो परिलब्धियों को संशोधित करने या नियमों में परिवर्तन के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास के बाद की विलंबित अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज के संदाय की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(v) जहां कि सरकारी विभाग या उसके किसी भाग का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन होने पर सामूहिक स्थानांतरण के अलावा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में सरकारी सेवक के स्थायी आमेलन होने पर, उपदान का संदाय ऐसे आमेलन की तारीख से छह मास से अधिक अवधि के लिए विलंबित हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में ऐसे स्थायी आमेलन की तारीख से छह मास से बाद की विलंबित अवधि के लिए समय-समय पर लोक भविष्य निधि निक्षेपों पर लागू दर पर ब्याज के संदाय की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

45. सरकारी शोध्यों की वसूली और समायोजन - (1) कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा देय सरकारी शोध्य अभिनिश्चित और निर्धारित करे।

(2) सरकारी शोध्य, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभिनिश्चित और निर्धारित किए जाते हैं और जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया है, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से, जब वह संदेय हो जाए, समायोजित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, "सरकारी शोध्य" पद के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,-

(क) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति फीस के बकायों के साथ-साथ आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के बाद सरकारी आवास के अधिभोग के लिए नुकसान, यदि कोई हो, भी है;

(ख) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य से भिन्न शोध्य, अर्थात् गृह निर्माण अथवा सवारी या किसी अन्य अग्रिम का अतिशेष, वेतन और भत्तों का या छुट्टी वेतन का अतिसंदाय और आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन स्रोत पर काटे जाने वाली आय-कर का बकाया।

स्पष्टीकरण– (2) केवल *स्पष्टीकरण(1)* में निर्दिष्ट सरकारी शोध्य ही सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संदेय सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से समायोजित किए जाएंगे और अन्य शोध्य जो उक्त *स्पष्टीकरण(1)* के संदर्भ में सरकारी शोध्य नहीं हैं, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल नहीं किए जाएंगे।

46. सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों का समायोजन और वसूली - (1) केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 22 के उप-नियम(1) के अधीन बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने की बाबत कार्यालयाध्यक्ष से प्रज्ञापना की प्राप्ति होने पर, सम्पदा निदेशालय अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और दो मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को यह सूचना देगा कि आवंटिती से उसकी सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूलीयोग्य है या नहीं और यदि कार्यालयाध्यक्ष को नियत तारीख तक बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली की बाबत कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि आवंटिती से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य नहीं है तथा कोई भी उपदान विधारित नहीं रखा जाएगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अगले आठ मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अर्थात्, आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के वेतन और भत्तों में से प्रतिमास वसूल की जाती है।

(3) जहां कि उपनियम(1) में वर्णित अवधि की बाबत वसूली योग्य अनुज्ञप्ति फीस की रकम सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रज्ञापित की जाती है वहां कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के चालू वेतन और भत्तों में से किश्तों में वसूल की जाती है और जहां वेतन और भत्तों से पूरी रकम वसूल नहीं की जाती है वहां अतिशेष को उपदान में से उसका संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व वसूल किया जाएगा।

(4) सम्पदा निदेशालय आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा और कार्यालयाध्यक्ष उस अनुज्ञप्ति फीस के साथ वसूल न की गयी ऐसी अनुज्ञप्ति फीस का, यदि कोई हो, जो उप-नियम(3) में वर्णित है, समायोजन उपदान की रकम में से करेगा।

(5) जहां कि किसी विशेष मामले में सम्पदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो निदेशालय कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा कि उपदान का दस प्रतिशत इत्तिला दिये जाने तक विधारित रखा जाए।

(6) अनुज्ञप्ति फीस (जहां सम्पदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है) के साथ-साथ नुकसान (आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुज्ञेय अवधि से अधिक सरकारी आवास के कब्जे के लिए) की वसूली सम्पदा निदेशालय की जिम्मेदारी होगी और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक, जिसके कब्जे में सरकारी आवास है, को उप-नियम (5) के अधीन विधारित उपदान की रकम का संदाय, सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने के पश्चात् संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर तुरंत किया जाएगा।

(7) संपदा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी आवास को खाली करने की वास्तविक तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर सरकारी सेवक को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' दिया जाएगा और आवंटिती, उपदान की अधिक विधारित रकम जिसका आवंटिती द्वारा देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस तथा नुकसान, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, पर ब्याज (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित लोक भविष्य निधि निक्षेप के लिए लागू दर के अनुसार) के भुगतान का हकदार होगा और सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तारीख से उपदान की अधिक विधारित रकम के प्रतिदाय की तारीख तक, सम्पदा निदेशालय द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से ब्याज संदेय होगा;

(8) उपनियम(5) के अधीन वर्णित उपदान की विधारित रकम से समायोजन करने के पश्चात अनुज्ञप्ति फीस या नुकसान के आधार पर देय शेष रकम संपदा निदेशालय द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से पेंशनभोगी की सहमति के बिना महंगाई राहत से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे मामलों में महंगाई राहत तब तक संवितरित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे शोध्यों की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

860950/2021/Coordination Section

47. सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों का समायोजन और वसूली-

(1) नियम 45 के स्पष्टीकरण(1) के खंड(ख) में निर्दिष्ट सरकारी आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों के लिए, कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत होने की तारीख से अथवा सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चले जाने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी पहले हो, एक वर्ष पूर्व शोध्य निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(2) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट सरकारी शोध्यों का निर्धारण, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व पूरा किया जाएगा।

(3) उप-नियम(2) के अधीन यथानिर्धारित शोध्यों का, जिसके अंतर्गत वे शोध्य भी हैं जो तदनन्तर जानकारी में आते हैं और सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया रहते हैं, समायोजन सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर संदेय सेवानिवृत्ति उपदान में से किया जाएगा।

अध्याय 7

सरकारी सेवा में रहते हुए मरने वाले सरकारी कर्मचारियों की दशा में मृत्यु उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना

48. मृत्यु उपदान के दावे अभिप्राप्त करना - (1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना मिलती है कि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है वहां वह यह अभिनिश्चित करेगा कि, -

(क) (i) मृत सरकारी सेवक ने किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को उपदान प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किया था या नहीं; और

(ii) यदि मृत सरकारी सेवक ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया था या जो नामनिर्देशन किया था वह अस्तित्व में नहीं है तो उपदान किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को संदेय हो सकता है।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष तब प्ररूप 9 में उपदान के लिए दावा करने के लिए संबद्ध व्यक्ति को, प्ररूप 8 में पत्र भेजेगा।

(2) जहां मृत्यु की तारीख को सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटिती था तो कार्यालय अध्यक्ष नियम 54 के उप-नियम(1) के उपबंधों के अनुसार "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए सम्पदा निदेशालय को लिखेगा।

49. प्ररूप 10 को पूरा किया जाना- (1) (क) नियम 48 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब से दावा या दावे अभिप्राप्त करते समय कार्यालय अध्यक्ष साथ ही साथ प्ररूप 10 को पूरा करने की कार्यवाही करेगा और यह कार्य उस तारीख से एक मास के भीतर पूरा कर लिया जाएगा जिसको सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख के बारे में प्रज्ञापना प्राप्त हुई है।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष मृत सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान करेगा कि संपूर्ण सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं।

(ग) (i) यदि असत्यापित सेवा की कोई अवधि है तो कार्यालय अध्यक्ष सेवा पुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर सेवा के असत्यापित प्रभाग को सत्यापित रूप में स्वीकार करेगा और इस प्रयोजन के लिए, कार्यालय अध्यक्ष किसी अन्य ऐसी सुसंगत सामग्री पर भरोसा कर सकता है जिस तक उसकी सुगमता से पहुंच हो।

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग को स्वीकार करते समय कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा लगातार थी और पदच्युति, सेवा से हटाए जाने या त्यागपत्र देने या किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण समपहृत नहीं की गयी थी।

(2) (क) मृत्यु उपदान के लिए परिलब्धियों के अवधारण के प्रयोजन के लिए, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अधिकतम अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता के सत्यापन के बारे में सीमित रहेगा।

(ख) मृत्यु होने की तारीख को असाधारण छुट्टी पर होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, अधिक से अधिक एक वर्ष की परिलब्धियों की, जो उसने असाधारण छुट्टी प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व ली थीं; शुद्धता सत्यापित की जाएगी।

(3) अर्हक सेवा और अर्हक परिलब्धियों के अवधारण की प्रक्रिया सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख के बारे में प्रज्ञापना की प्राप्ति से एक मास के भीतर पूरी की जाएगी और तदनुसार मृत्यु उपदान की रकम भी परिकलित की जाएगी।

50. अपूर्ण सेवा अभिलेखों की दशा में मृत्यु उपदान की रकम का अवधारण - सेवा पुस्तिका का रखरखाव ठीक से किया जाएगा और यदि किसी विशेष मामले में, इस विषय पर सरकारी निर्देशों के होने हुए भी सेवा पुस्तिका ठीक प्रकार से नहीं रखी गयी है और कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के आधार पर सेवा के असत्यापित प्रभाग को सत्यापित सेवा के रूप में स्वीकार करे तो कार्यालय अध्यक्ष संपूर्ण सेवा का सत्यापन किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करेगा और मृत सरकारी सेवक की बाबत मृत्यु उपदान की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात्: -

(i) यदि मृत सरकारी सेवक द्वारा की गई संपूर्ण सेवा को सत्यापित और स्वीकार करना संभव नहीं है, तो मृत्यु उपदान की रकम नियम 22 के उप-नियम(2) के अनुसार सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व सत्यापित और स्वीकृत सेवा की निरंतर अवधि से अर्हक सेवाकाल के आधार पर अनंतिम आधार पर अवधारित की जाएगी और यथा अवधारित मृत्यु उपदान की रकम, हिताधिकारियों को सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख की प्रज्ञापना प्राप्त होने के एक मास के भीतर अनंतिम आधार पर प्राधिकृत की जाएगी।

(ii) उपदान की अंतिम रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संपूर्ण सेवा के स्वीकार किए जाने और सत्यापन होने पर अवधारित की जाएगी जो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उस तारीख से, जिसको अनंतिम उपदान के संदाय के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया था, छह मास की अवधि के भीतर अवधारित की जाएगी और यदि कोई अतिशेष मृत्यु उपदान की रकम के अंतिम अवधारण के परिणामस्वरूप संदेय हो जाता है तो वह हिताधिकारियों को प्राधिकृत किया जाएगा।

51. प्ररूप 7 और प्ररूप 10 लेखा अधिकारी को भेजा जाना– (1) दावा या दावों की प्राप्ति पर कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 की मद सं. 9 को भरेगा और उक्त प्ररूप को मूल रूप में ही, प्ररूप 7 में सहपत्र तथा सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका के साथ, जो अद्यतन पूरी की गई हो, और ऐसे अन्य दस्तावेज़, जिन पर दावा की गई सेवा के सत्यापन के लिए भरोसा किया गया है, लेखा अधिकारी को भेजेगा और यह कार्य कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दावे की प्राप्ति के अधिक से अधिक एक मास के भीतर किया जाएगा।

(2) कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 की एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रखेगा।

(3) कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी का ध्यान मृत सरकारी सेवक पर बकाया सरकारी शोध्यों के निम्नलिखित ब्यौरों की ओर दिलाएगा, अर्थात्,-

(क) नियम 54 के निबंधनों के अनुसार परिनिश्चित और निर्धारित सरकारी शोध्य, जो संदाय प्राधिकृत किए जाने के पूर्व उपदान से वसूली योग्य है।

(ख) उपदान की वह रकम जो भागत: उन सरकारी शोध्यों के समायोजन के लिए विधारित हैं जो अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं और भागत: उपदान के अंतिम अवधारण के कारण समायोजन के लिए विधारित की गई है।

(ग) खंड(ख) के प्रयोजन के लिए विधारित उपदान की अधिकतम रकम उपदान की रकम के दस प्रतिशत तक सीमित होगी।

4. (क) जहां प्ररूप 10 भर लिया गया है और हिताधिकारी या हिताधिकारियों से दावा या दावे संबंधित प्ररूपों में प्राप्त नहीं हुए है तो कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 और उप-नियम(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को बिना दावा या दावे के भेजेगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष जैसे ही दावा या दावे प्राप्त करे, वे तुरंत लेखा अधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

5. (क) यदि प्ररूप 10 भर लिया गया है और मृत्यु उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों का निर्धारण नहीं किया गया है, कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 और उप-नियम(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को, उक्त प्ररूप के भाग I के मद 9 को भरे बिना लेखा अधिकारी को भेज देगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष जैसे ही मृत्यु उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों का निर्धारण कर लेता है, वैसे ही वे तुरंत लेखा अधिकारी को इस प्रार्थना के साथ भेज दिये जाएंगे कि प्ररूप 10 के भाग I की मद 9 लेखा अधिकारी द्वारा भर ली जाए।

52. अनंतिम मृत्यु उपदान की संस्वीकृति, आहरण और संवितरण - (1) नियम 51 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को संबंधित लेखा अधिकारी को भेजने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित शत-प्रतिशत उपदान निकालेगा और इस प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात :-

(क) वह दावेदार या दावेदारों के पक्ष में एक संस्वीकृति पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध लेखा-अधिकारी को भेजी जाएगी जिसमें यथा-अवधारित शत-प्रतिशत उपदान की रकम उपदर्शित की जाएगी;

(ख) वह नियम 51 के उप-नियम(3) के अधीन उपदान में से वसूली योग्य रकम संस्वीकृति पत्र में उपदर्शित करेगा।

(ग) संस्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात् वह खंड(ख) में वर्णित शोध्यों की कटौती करके शत-प्रतिशत उपदान की रकम वेतन एवं लेखा अधिकारी को बिल भेजकर निकालेगा।

(2) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(1) के अधीन निकाली गई उपदान की रकम तुरंत संवितरित करेगा।

(3) उपदान दावेदार या दावेदारों को जैसे ही संदत्त किया जाता है, वैसे ही कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

53. मृत्यु उपदान के अतिशेष का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना - (1) नियम 51 के उप-नियम(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर, लेखा अधिकारी दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा तथा प्ररूप 10 के भाग 2के खंड I को भरेगा और उपदान की रकम निर्धारित करेगा।

(2) (क) लेखा अधिकारी, मृत सरकारी सेवक पर बकाया रकम का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् उपदान के अतिशेष की रकम अवधारित करेगा।

(ख) लेखा अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष को खंड(क) के अधीन अवधारित उपदान की अतिशेष रकम इस टिप्पणी के साथ प्रज्ञापित करेगा कि उपदान के अतिशेष की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकली जाए और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को संवितरित की जाए जिन्हें अनंतिम उपदान संदत्त किया गया है।

(ग) नियम 54 के उप-नियम(1) के खंड(ख) के अधीन विधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नियम 54 के उप-नियम(1) के खंड(viii) में वर्णित अनुज्ञप्ति फीस की बकाया से समायोजित की जाएगी और अतिशेष का, यदि कोई हो, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को प्रतिदाय किया जाएगा जिन्हें उपदान संदत्त किया गया है।

(घ) उपदान की अतिशेष रकम वेतन एवं लेखा अधिकारी को बिल भेजकर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकली जाए और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को संवितरित की जाए जिन्हें अनंतिम उपदान संदत्त किया गया है।

(3) (क) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संवितरित उपदान की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो हिताधिकारी से आधिक्य के प्रतिदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में अनुज्ञेय रकम से अधिक उपदान की रकम के संवितरण के अवसर कम से कम आएं और वह अधिकारी या वे अधिकारीगण जो अधिक संदाय के लिए उत्तरदायी हैं वे अतिसंदाय के लिए देनदार होगा या होंगे।

54. सरकारी शोध्यों का समायोजन - (1) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य- (i) जहां मृत्यु की तारीख को सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटिती था, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की मृत्यु की बाबत प्रज्ञापना की प्राप्ति पर ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर सम्पदा निदेशालय को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी किए जाने के लिए लिखेगा ताकि मृत्यु उपदान प्राधिकृत करने में विलंब न हो और 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए सम्पदा निदेशालय को लिखते समय, कार्यालय अध्यक्ष दो प्रतियों में निम्नलिखित जानकारी भी देगा - (एक प्रति भाटक खंड को और दूसरी प्रति आवंटन खंड को भेजी जाएगी), अर्थात :-

(क) मृत सरकारी सेवक का नाम और पदनाम;

(ख) आवास की विशिष्टियां (क्वार्टर सं., वर्ग और परिक्षेत्र);

(ग) सरकारी सेवक की मृत्यु होने की तारीख;

(घ) क्या सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के समय छुट्टी पर था और यदि था तो छुट्टी की अवधि और प्रकृति;

(ङ) क्या सरकारी सेवक भाटक मुफ्त आवास सुविधा का उपभोग कर रहा था;

(च) वह अवधि जिस तक मृत सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों में से अनुज्ञप्ति फीस वसूल की गई थी और वसूली की मासिक दर तथा वेतन बिल की विशिष्टियां, जिसके अधीन वह अंतिम बार वसूल की गई थी;

(छ) यदि मृत्यु की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस वसूल नहीं की गई थी और सरकारी सेवक का कुटुंब अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास को रखने का इच्छुक है तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे,-

(अ) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति फीस अभी भी वसूल की जानी है;

(आ) मानक भाटक बिल के आधार पर (क) में दी गई अवधि के बारे में अनुज्ञप्ति फीस की रकम का अवधारण;

(इ) मृतक सरकारी सेवक के कुटुंब द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से आगे चार मास की रियायती अवधि के लिए सरकारी आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम, जो मानक भाटक बिल के आधार पर अवधारित की जाएगी;

(ई) मृत्यु उपदान में से वसूल करने के लिए (ख) और (ग) में वर्णित प्रस्तावित अनुज्ञप्ति फीस की रकम;

(उ) आवंटिति के विरुद्ध बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली से संबंध रखने वाले सम्पदा निदेशालय के किसी पूर्व निर्देश के ब्यौरे और उन पर की गई कार्यवाही।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष मृत्यु उपदान में से सम्पदा निदेशालय द्वारा खंड(i) के अधीन प्रज्ञापित अनुज्ञप्ति फीस की रकम वसूल करेगा।

(iii) चार मास की अवधि के आगे सरकारी आवास के उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस की वसूली सम्पदा निदेशालय की ज़िम्मेदारी होगी।

(iv) सम्पदा निदेशालय यह अवधारित करने की दृष्टि से कि क्या खंड(i) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न कोई अन्य अनुज्ञप्ति फीस मृत सरकारी सेवक पर बकाया थी, अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और यदि कोई वसूली बकाया पायी जाती है, वह रकम और वह अवधि या वे अवधियां, जिनमे ऐसी वसूली या वसूलियां संबंधित है, सरकारी सेवक की मृत्यु की बाबत खंड(i) के अधीन प्रज्ञापना की प्राप्ति से दो मास की अवधि के भीतर कार्यालय अध्यक्ष को संसूचित की जाएंगी।

(v) खंड (iv) के अधीन जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष सम्पदा निदेशालय द्वारा यथा प्रज्ञापित रकम अथवा यदि सम्पदा निदेशालय द्वारा कोई विनिर्दिष्ट रकम की प्रज्ञापना नहीं दी गयी हो, तो मृत्यु उपदान का दस प्रतिशत विधारित करेगा,

(vi) जहां अनुज्ञप्ति फीस की वसूली के बारे में खंड(iv) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि मृत सरकारी सेवक से कुछ भी वसूली-योग्य नहीं था और उपदान की विधारित रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें मृत्यु उपदान की रकम का संदाय किया गया था, संदत्त कर दी जाएगी।

(vii) जहां कि कार्यालय अध्यक्ष ने सम्पदा निदेशालय से मृत सरकारी सेवक पर बकाया अनुज्ञप्ति फीस की बाबत खंड(iv) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त की है तो कार्यालय अध्यक्ष निस्तारण पूंजी से यह सत्यापित करेगा कि अनुज्ञप्ति फीस की बकाया रकम मृत सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों में से वसूल की गई थी या नहीं और यदि सत्यापन के परिणामस्वरूप यह पाया जाए कि सम्पदा निदेशालय द्वारा बकाया दिखाई गई अनुज्ञप्ति फीस की रकम पहले ही वसूल की जा चुकी है तो कार्यालय अध्यक्ष सम्पदा निदेशालय का ध्यान उन वेतन बिलों की ओर दिलाएगा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति फीस की अपेक्षित वसूली की गई थी और उप-नियम(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खंड(v) के अधीन विधारित उपदान की रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें मृत्यु उपदान का संदाय किया गया था, संदाय करने की कार्यवाही करेगा।

(viii) जहां कि अनुज्ञप्ति फीस की बकाया रकम मृत सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों से वसूल नहीं की गई थी, बकाया रकम खंड(v) के अधीन विधारित उपदान की रकम से समायोजित की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें मृत्यु उपदान की रकम का संदाय किया गया था, पुन: संदत्त किया जाएगा।

(2) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट शोध्यों से भिन्न शोध्य - (1) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की मृत्यु की बाबत प्रज्ञापना की प्राप्ति से एक मास के भीतर यह सुनिश्चित करने की कार्यवाही करेगा कि क्या नियम 47 में निर्दिष्ट कोई शोध्य, सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित शोध्यों को छोड़कर, मृत सरकारी सेवक से वसूली-योग्य थे और इस प्रकार अभिनिश्चित शोध्य मृत सरकारी सेवक के कुटुंब को संदेय मृत्यु उपदान की रकम में से वसूल किए जाएंगे।

55. प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु उपदान का संदाय - (1) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसकी मृत्यु उस समय होती है जब वह केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है, मृत्यु उपदान प्राधिकृत करने के लिए कार्यवाही सेवाएं उधार लेने वाले विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में जिसकी मृत्यु उस समय होती है जब वह किसी राज्य सरकार में या किसी विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त है, मृत्यु उपदान का संदाय प्राधिकृत करने के लिए कार्यवाही उस कार्यालय अध्यक्ष या काडर प्राधिकारी द्वारा, जिसने राज्य सरकार या विदेश सेवा के लिए सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति मंजूर की थी, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

56. उपदान किस करेंसी में संदेय है - इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय उपदान केवल भारत में, रुपयों में संदेय होगा।

57. उपदान संदाय की रीति - इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपदान एकमुश्त संदत्त किया जाएगा।

58. खजाना नियमों का लागू किया जाना - इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केन्द्रीय सरकार के खजाना नियम उपदान के संदाय की प्रक्रिया के बारे में लागू होंगे।

59. निर्वचन - जहां कि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो वहां उसे विनिश्चय के लिए सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।

60. शिथिल करने की शक्ति - जहां कि सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का समाधान हो जाए कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कष्टकारिता होगी वहां, यथास्थिति, वह मंत्रालय या विभाग ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक, और ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यिक रीति से किसी मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है अथवा उन्हें शिथिल कर सकती है:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

61. अवशिष्टीय उपबंध – (1) अन्य संबंधित मुद्दे जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अधीन नहीं आते, केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021, मूल नियम, 1922 में इस संबंध में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, यदि यह इन नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत न हो।

(2) केंद्रीय सरकार किन्हीं मामलों को विनियमित करने के लिए आदेशों या अनुदेशों को जारी कर सकती है जिनके लिए इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों या मानित उपबंधों में कोई प्रावधान नहीं है और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं, ऐसे मामलों को समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

62. निरसन और व्यावृति - इन नियमों के प्रारम्भ होने पर, ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक आदेश, अनुदेश या कार्यालय ज्ञापन, जहां तक कि वह इन नियमों में सन्निहित किन्हीं मामलों की व्यवस्था करता हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा और उन आदेश, अनुदेश या कार्यालय ज्ञापन के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्ररूप 1

उपदान के लिए सेवा सत्यापन का प्रमाणपत्र

(नियम 21 देखिए)

संख्या										

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग/कार्यालय

तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

प्रमाणपत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

(नाम और पदनाम) ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, तारीख को वर्ष मास दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। सेवा का सत्यापन उनके सेवा दस्तावेजों के आधार पर और इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 21 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा उपदान के लिए अर्हक होती है, प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अर्हक सेवा के ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम	से	तक	अर्हक सेवा की अवधि
1.				
2.				
3.				

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में,

श्री

(नाम और पदनाम)

प्ररूप 2

उपदान तथा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप

(नियम 23 देखिए)

मैं, ..., नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता हूँ और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित आधार पर रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ:

i. कोई उपदान जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गतउपदान का संदाय) नियमावली, 2021 के नियम 22 के अधीन प्राधिकृत किया जाए,

ii. कोई रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन संस्वीकृत की जाए।

नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/ पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है, तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ(1) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तंभ (5) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा

1	2	3	4	5	6	7	8

ये नामनिर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिक्रांत करेंगे।

स्थान और तारीख:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

मोबाइल न.

टिप्पण 1 : उन फ़ायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नामनिर्देशन आशयित नहीं है। उपर्युक्त फायदों(i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नामनिर्देशित किए जाने के लिए इस नामनिर्देशन प्ररूप की पृथक प्रतियों का उपयोग किया जाए।

टिप्पण2 : सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात किसी नाम को अंतःस्थापित न किया जा सके।

टिप्पण3: नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती(यों) को संदेय अंशों में उपदान की पूरी रकम आ जानी चाहिए।

(कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

निम्नलिखित नियमों के अधीन, तारीख..... को नामनिर्देशन प्राप्त किए: -

1. उपदान के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियमावली, 2021

2. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा किया गया .....

पदनाम.....

कार्यालय.....

(अप्राप्त नामनिर्देशन को काट दें)

सत्यापित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार है/हैं। नामनिर्देशन(नामनिर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ.....खंड..... में कर ली गई है।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख .....

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस प्रपत्र के दोनों पृष्ठों पर अपने तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।

प्ररूप 3

तत्काल आमेलन होने पर किसी राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्ति आदेश

[नियम 32 देखिए]

सं. .....

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग .....

तारीख.....

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी.....(i).....को स्थायी आमेलन होने के आधार पर.....(iii).....के रूप में.....(ii).....में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। उन्हें तारीख.....(iv).....तक .....(ii)..... में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। सरकारी सेवा से उनका त्यागपत्र उस दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन वह वास्तव में .....(ii).....में अपना कार्यभार ग्रहण करते/करती हैं और उनके .....(ii)..... में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उसे अधिसूचित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश वह तारीख .....(iv)..... तक.....(ii)..... में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते/पाती हैं तो उन्हे तुरंत अपने कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

2. कार्यमुक्त करने की तारीख और .....(ii).....में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को किसी भी प्रकार की शोध्य छुट्टी की और यदि कोई शोध्य छुट्टी शेष नहीं है, तो असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर नियमित किया जाएगा।

(i) कार्यमुक्त किए जाने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम और कार्यालय।

(ii) राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय का नाम।

(iii) जिस पद पर राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में अधिकारी की नियुक्ति की जानी है।

(iv) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय उस तारीख को उपदर्शित करेगा जिस तारीख से अधिकारी को राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह तारीख उसे कार्यमुक्ति की तारीख से अधिकतम 15 दिन का समय देकर अवधारित की जाएगी। प्राकृतिक आपदा, नागरिक संक्षोभ आदि जैसे अधिकारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के होने की दशा में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तारीख को आगे विस्तारित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम)

प्रतिलिपि:

1. .....(संबंधित अधिकारी)
2. ..... (राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय)
3. वेतन एवं लेखा कार्यालय

प्ररूप 4

लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति उपदान दिए जाने के लिए आवेदन

[नियम 33 का उप-नियम(2) देखिए]

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए। यदि एक से अधिक अवयस्क दावेदार हों और उन सबके लिए एक ही संरक्षक हो, तो संरक्षक को उन सबकी ओर से एक ही प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए)

1.लापता सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा:

नाम और पदनाम		रिपोर्ट की तारीख	
कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृतक ने अंतिम सेवा की थी			

2.दावेदार(रों) का ब्यौरा:

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	डाक पता
1.				
2.				
3.				

3.यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त है तो संरक्षक का ब्यौरा:

नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	अवयस्क/मानसिक नि:शक्त के साथ नातेदारी	लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	डाक पता

4.बैंक का ब्यौरा:

बैंक का नाम		खाता सं.		आईएफ़एससी कोड	

स्थान :

तारीख: DD-MM-YYYY

मोबाइल :

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

संलग्नक :

क. पुलिस थाने में की गई लापता होने की रिपोर्ट की प्रति।

ख. दावेदार के अवयस्क होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/क्षतिपूर्ति बॉन्ड और जन्म-प्रमाणपत्र।

ग. दावेदार के मानसिक नि:शक्त होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/नामनिर्देशन और चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्ररूप 5
सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में सेवानिवृत्ति उपदान कासंदाय निर्धारित और प्राधिकृत किया जाना
[कृपया नियम 33 का उपनियम (4) देखें]

भाग I

अनुभाग I

1.सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा:

(क) नाम			
(ख) माता/पिता का नाम		(ग) जन्मतिथि	D D M M Y Y Y Y
(घ) लापता होने की तारीख	D D M M Y Y Y Y	(ङ) धर्म	

2. लापता होने के समय धारित पद:

(क) कार्यालय का नाम			
(ख) धारित अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) पेमैट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ) मूल वेतन	
(च) विदेश सेवा शर्तों पर सरकार से बाहर धारित पद की दशा में-			
(i) मूल विभाग में धारित पद का वेतन स्तर		(ii) मूल वेतन	
3. सेवा के आरंभ होने की तारीख	DD-MM-Y	**4. सेवा के समाप्त होने की तारीख**	DD-MM-Y

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा की विशिष्टियां, यदि कोई है:

(क) संगठन का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि		
		से	तक	कुल अवधि
(घ) क्या उपरोक्त सेवा सरकार में उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है				हां /नहीं

(झ) क्या स्वायत्त संगठन ने उपदान संबंधी दायित्व का निर्वहन केंद्रीय सरकार को किया है			हां /नहीं
(च) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त उपदान की रकम, यदि कोई है		(छ) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन की प्रकृति, यदि कोई है	

6.सेवानिवृत्ति उपदान के लिए अर्हक सेवा:

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 36 (1)(ख) (ii) के अधीन]			
(ख) अनर्हक सेवा की अवधियां:	से	तक	दिनों की सं.
नियम 18 और नियम 19 के अधीन माफ किया गया सेवा में व्यवधान			
असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है			
निलंबन की अवधि जिसे अनर्हक सेवा माना गया			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए उपदान का अंशदान सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है (नियम 20)			
कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है			
अनर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन:	से	तक	दिनों की सं.
किसी स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ			
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा			
(ङ) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है(तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 22)			

7. सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां		**8. सेवानिवृत्ति उपदान की रकम**	

9. सेवानिवृत्ति उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे:	
(क) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस (नियम 54 देखें)	
(ख) सम्पदा निदेशालय द्वारा यथा उपदर्शित विधारित की जाने वाली रकम [नियम 54(i) देखें)].	
(ग) नियम 54(2) में निर्दिष्ट शोध्य	
(घ) सेवानिवृत्ति उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम	

10. नामनिर्देशिती(यों) के ब्यौरे जिनको सेवानिवृत्ति उपदान संदेय है:

क्रम सं.	(क) नाम	(ख) जन्मतिथि (दिन/माम/वर्ष)	(ग) मृत्यु उपदान में अंश	(घ) मृत सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(ङ) पता
1.					
2.					
3.					

11. **संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त संतान की दशा में सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय प्राप्त करेंगे**

क्रम सं.	(क) अवयस्क/ मानसिक निःशक्त संतान का नाम	(ख) संरक्षक का नाम	(ग) मृत सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(घ) संरक्षक का पता
1.				
2.				
3.				
12. लेखाशीर्ष जिसमें सेवानिवृत्ति उपदान विकलनीय है				

स्थान:

तारीख: DD-MM-YYYY

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग 2
लेखामुखांकन
अनुभाग 1

सेवानिवृत्ति उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि	
सरकारी शोध्यों के समायोजन के पश्चात सेवानिवृत्ति उपदान की शुद्ध रकम	
लेखाशीर्ष जिसमें सेवानिवृत्ति उपदान विकलनीय है	

अनुभाग 2

लापता सरकारी कर्मचारी के ब्यौरे

नाम		लापता होने की तारीख	D D M M Y Y Y Y
प्राधिकृत उपदान की रकम		उपदान मे वसूली योग्य रकम	
'बेबाकी प्रमाणपत्र' की प्राप्ति के लंबन पर विधारित उपदान की रकम			

स्थान:

तारीख: DD-MM-YYYY

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप 6

उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप

[सेवानिवृत्ति की तारीख से चार मास पूर्व वेतन और लेखा अधिकारी को भेजा जाए]

[नियम 34, 37, 38 और 42 देखिए]

भाग-1 (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

1.सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम					
माता ☐ पिता ☐ का नाम					
		पैन सं.		जन्मतिथि	DD-MM-YYYY

2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद: -

(क) कार्यालय का नाम		(ख) धारित पद	
(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		(घ) मूल वेतन	
(ङ) क्या उपरोक्त नियुक्ति सरकार के अधीन या सरकार से बाहर विदेश सेवा शर्तों पर थी			
(च) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/मूल वेतन			
क्या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया था			

3.सेवा के आरम्भ होने कीतारीख	d D M m y Y y Y	**4.सेवा समाप्ति की तारीख**	d d m m y y y Y

5. सेवा समाप्ति का कारण (कृपया एक पर निशान लगाएं)

(क) अधिवर्षिता		(ख) अधिशेष घोषित किए जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (नियम 29)	
(ग) सरकारी कर्मचारी की पहल पर स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवानिवृत्ति [सीसीएस(एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 का नियम 12 और मूल नियम56(के) के अधीन]			
(घ) सरकार की पहल पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति [मूल नियम 56(जे)]			
(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन(नियम 32)			
(च)चिकित्सीय आधार पर अशक्तता [सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम का नियम 16]		(छ) पद की समाप्ति के कारण (नियम 29)	
(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 30)		(झ) सेवा से हटाया जाना/पदच्युति (नियम 31)	

5.क.अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश कि उपदान पूर्ण दरों पर अनुज्ञात किया जाए या घटी दरों पर और घटी दरों की दशा में, वह प्रतिशतता जिस पर इसे अनुज्ञात किया जाना है (कृपया नियम 30 देखें)

5.ख. सेवा से हटाये जाने/पदच्युति की दशा में, क्या उपदान की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए गए हैं और यदि ऐसा है, तो किस दर पर(कृपया नियम 31 देखें)

6.स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा से संबन्धित विशिष्टियां, यदि कोई है:-

(क) सेवा की विशिष्टियां:	संगठन का नाम		धारित पद	

सेवा की अवधि	से	दि	न	मा	ह	व	र्ष			तक	अवधि	दि	न	मा	ह	व	र्ष		

(ख) क्या उपरोक्त सेवा सरकार में उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है	
(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने केंद्रीय सरकार को अपने उपदान दायित्व का निर्वहन किया है	

7.क्या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध नियम 5 के अनुसार कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित है। (यदि हां, तो विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति और अंतिम आदेशों के जारी होने तक उपदान विधारित किया जाएगा)

8. सेवा का ब्यौरा:

(क) सेवा की अवधि			सेवा की कुल अवधि	

(ख) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 36 (1) (ख) (iii) के अधीन]

(ग) ऐसी अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गयाहै:-

(i) अर्हक सेवा के रुप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी(नियम 13)	
(ii) निलंबन की अवधियां जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (नियम 14)	
(iii) सेवा में व्यवधान [नियम 18 और नियम 19]	
(iv) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए उपदान का कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है (नियम 20)	
(v) कोई अन्य अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (ब्यौरा दें)	

(घ) अर्हक सेवा में परिवर्धन :-

(i) किसी स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ	
(ङ) शुद्ध अर्हक सेवा (क – ख – ग + घ)	

(च) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 22)

9. परिलब्धियां :-

(क) नियम 6 के अनुसार परिलब्धियां	

(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां-	से	D	D	m	m	y	Y	y	Y	तक	अवधि	d	d	m	m	y	y	y	y

टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो नोशनल परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन प्राप्त की होती यदि वह विदेश सेवा में न गया होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 6 का उप नियम 7)

(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 7)	
(घ) सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां (नियम22)	
10. सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान की रकम (नियम22)	
11. विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर उपदान का ब्यौरा	
(क) नियम 5 के अधीन विधारित किए जाने वाले उपदान का प्रतिशत	
(ख) विधारित रकम की कटौती के पश्चात उपदान की रकम	

12. उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे			
(क) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस[नियम45 और नियम46]			
(ख) नियम 47 में निर्दिष्ट शोध्य			
(ग) संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम जिसे नियम 46 के अधीन विधारित करना है			
सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी का पता			
ईमेल आईडी, यदि हो		मोबाइल नंबर, यदि हो	

सेवानिवृत्ति देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालयाध्यक्ष के लिए प्ररूप 6 की जांच सूची

1. क्या सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटिती है	
2. वह तारीख जिसको सीसीएस(एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 22 में यथाउपबंधित, संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।	
3. संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त होने की तारीख	
4. वह तारीख जिसको संपदा निदेशालय से उपदान से किसी प्रकार की वसूली/रकम विधारित करने के संबंध में संसूचना प्राप्त हुई	
5. यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटिती नहीं है, तो कार्यालय द्वारा जारी 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की तारीख	d d m m y y y y
6. वह तारीख जिसको नियम 36 में यथा उपबंधित उपदान के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई	d d m m y y y y
7. वह तारीख जिसको नियम 47(1) में यथा उपबंधित सरकारी आवास के आबंटन से संबंधित शोध्यों से भिन्न सरकारी शोध्यों का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई	D d m m y y y y
8. वह तारीख जिसको सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अर्हक सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली प्रस्तावित परिलब्धियों/औसत परिलब्धियों के बारे में प्रमाणपत्र दिया गया था।	D d m m y y y y
9. क्या उपरोक्त प्रमाणपत्र के बारे में कर्मचारी से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है	
10. क्या प्ररूप 2 में निम्नलिखित के लिए नामनिर्देशन किया गया है	
(i) मृत्यु उपदान/ सेवानिवृत्ति उपदान	
11. क्या सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के प्ररूप 2 में कुटुंब के ब्यौरे संलग्न हैं	हां ☐ नहीं ☐
12. क्या प्रभावी बचत का कथन और अन्यत्र रोजगार न मिलने के कारण संलग्न हैं (यदि दावा उपदान के लिए है)	
13. क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाने जाने की दशा में उपदान की मंजूरी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अभिलेखबद्ध किए गए हैं।	

14. क्या विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर उपदान विधारित करने के आदेश संलग्न है, यदि कार्यवाहियों के निष्कर्ष होने पर लागू हो।	
15. क्या विलंब के कारणों को उपदर्शित करने वाला कथन संलग्न किया गया है (सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से चार मास पूर्व उपदान के संदाय के कागजपत्र अग्रेषित नहीं किए जाने की दशा में)	
16. क्या सरकारी कर्मचारी की बहाली होने के संक्षिप्त कथन को संलग्न किया गया है (उस सरकारी कर्मचारी की दशा में जो सेवा से निलंबित, अनिवार्य सेवानिवृत्त, हटाए जाने या पदच्युति के पश्चात बहाल किया गया है)	

भाग-2
लेखा मुखांकन (लेखा अधिकारी द्वारा)

कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा उपदान के संदाय के लिए कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख		d d m m y y y Y
अनुज्ञेय हकदारियां-		
क. अर्हक सेवा की अवधि		
ख.सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान-		
(i) उपदान की कुल रकम		
(ii) नियम 5 के अधीन विधारित किए जाने वाले उपदान का प्रतिशत		
(iii) विधारित रकम की कटौती के पश्चात उपदान की रकम		
(iv) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकायों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम और सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस(नियम 46)		
(v) अनिर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के कारण विधारित किए जाने के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 46)		
(vi) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 47)		
(vii) तत्काल दी जाने वाली शुद्ध रकम		
ग. लेखाशीर्ष जिसमें सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की रकम विकलनीय है		
घ. क्या नियम 5 के अधीन उपदान को प्रभावित करने वाला कोई आदेश जारी किया गया है		हां ☐ नहीं ☐
यदि हां, तो उसके ब्यौरे		

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

उपदान संगणना पत्र

1. नाम		2. पदनाम			
3. जन्मतिथि		4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		5. मूल वेतन	
6. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख	d D M M y y y Y	7.सेवानिवृत्ति की तारीख	d d m m y y y Y		
8. उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि					
9. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां					
10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो भी उपदान के लिए अधिक लाभप्रद हो					
11. उपदान के लिए परिलब्धियां					
12. अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान की गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए: परिलब्धियां/4x अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से अधिक नहीं)					

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित
पीएओ

प्रति :- श्री/श्रीमती/कुमारी .....
सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी

प्ररूप 7

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को उपदान के संदाय के लिए सरकारी कर्मचारी के कागजपत्र भेजे जाएंगे

[नियम 38, 40 और 51 देखिए]

सं.

भारत सरकार
मंत्रालय

विभाग/कार्यालय

तारीख D D M M Y Y Y Y

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार,

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी **की बाबत उपदान प्राधिकृत करने के लिए।**

महोदय/महोदया,

मुझे इस मंत्रालय/विभाग के/की श्री/श्रीमती/कुमारी की बाबत उपदान के संदाय के लिए कागजपत्रों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आपको अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. उन सरकारी शोध्यों के ब्यौरे, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया होंगे तथा जिन्हें वसूल किया जाना/विधारित किया जाना है, प्ररूप 6 की मद सं.12/प्ररूप10 की मद सं. 9 में उपदर्शित है।

3. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करें।

4. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान निकाला जाएगा और संवितरित किया जाएगा।

भवदीय,

(कार्यालयाध्यक्ष)

संलग्नक:

1. संलग्नकों और जांच सूचियों के साथ सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6 या प्ररूप 10
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तारीख उपदर्शित की जाए)

टिप्पण:

1. यदि विभिन्न परामर्शित अभिलेखों में सरकारी कर्मचारी के आद्यक्षर या नाम गलत रूप में दिया गया है/दिए गए हैं, तो इस बात का पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्ररूप 8

मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के नामनिर्देशिती/सदस्य को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

[नियम 48 देखिए]

सं.										

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग/कार्यालय

तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

सेवा में,

विषय: - स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय

महोदय/महोदया,

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि _____ कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (नाम और पदनाम) द्वारा दिए गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उनके नामनिर्देशिती(निर्देशितियों) को मृत्यु उपदान संदेय है। उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहां संलग्न है।

यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से ऐसी कोई आकस्मिकता घटित हो गई हो, जिससे कि संलग्न नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो उस आकस्मिकता के ठीक-ठाक ब्यौरों का उल्लेख करें।

या

केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का संदाय) नियम, 2021 के नियम 22 और नियम 24 के निबंधनों के अनुसार उपदान दिए जाने के लिए इस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, कार्यालय/विभाग/मंत्रालय _____ स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी _____ (नाम और पदनाम) के कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर अंशों में मृत्यु उपदान संदेय है:

(i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथक पत्नी/पति भी है
(ii) पुत्र
(iii) अविवाहित पुत्रियां } जिसके अंतर्गत सौतेली संतान और दत्तक संतान भी आती है
(iv) विधवा पुत्रियां

या

(उपरोक्त उत्तरजीवी सदस्यों के न होने पर)

(i) पिता और/या माता, जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है, दत्तक माता पिता भी हैं।
(ii) अठारह वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित और विधवा बहनें, जिनके अंतर्गत सौतेले भाई और बहनें भी हैं;
(iii) विवाहित पुत्रियां; और
(iv) पूर्व मृत पुत्र की संतान।

2. यदि आपका संलग्न नामनिर्देशन विधिमान्य है या आप नियम 22 और नियम 24 के अंतर्गत उपदान की भागतः या पूर्णतः रकम प्राप्त करने के हकदार हैं, यह निवेदन है कि उपदान के संदाय के लिए अपना दावा संलग्न प्ररूप 9 में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

_____

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्ररूप 9

मृत्यु उपदान दिए जाने के लिए आवेदन

[नियम 48 देखिए]

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए। यदि एक से अधिक अवयस्क दावेदार हों और उन सबके लिए एक ही संरक्षक हो, तो संरक्षक को उन सबकी ओर से एक ही प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए)

1.मृत सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा:

नाम और पदनाम		मृत्यु की तारीख	
कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृतक ने अंतिम सेवा की थी			

2.दावेदार(रों) का ब्यौरा:

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	अंश	मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	डाक पता
1.					
2.					
3.					

3.यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त है तो संरक्षक का ब्यौरा:

नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	अंश	अवयस्क/मानसिक नि:शक्त के साथ नातेदारी	मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	डाक पता

4.बैंक का ब्यौरा:

बैंक का नाम		खाता सं.		आईएफ़एससी कोड	

स्थान :

तारीख: DD-MM-YYYY

मोबाइल :

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

संलग्नक :

क. मृत्यु प्रमाणपत्र

ख. दावेदार के अवयस्क होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/क्षतिपूर्ति बॉन्ड और जन्म-प्रमाणपत्र।

ग. दावेदार के मानसिक नि:शक्त होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/नामनिर्देशन और चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्ररूप 10

सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु उपदान का संदाय निर्धारित और प्राधिकृत किया जाना

[कृपया नियम 49, 51 और 53 देखें]

भाग 1

अनुभाग 1

1. मृत सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा:

(क) नाम			
(ख) माता/पिता का नाम		(ग) जन्मतिथि	D D M M Y Y Y Y
(घ) मृत्यु की तारीख	D D M M Y Y Y Y	(ङ) धर्म	

2. मृत्यु के समय धारित पद:

(क) कार्यालय का नाम			
(ख) धारित अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ) मूल वेतन	
(च) विदेश सेवा शर्तों पर सरकार से बाहर धारित पद की दशा में-			
(i) मूल विभाग में धारित पद का वेतन स्तर		(ii) मूल वेतन	
3. सेवा के आरंभ होने की तारीख	DD-MM-Y	**4. सेवा के समाप्त होने की तारीख**	DD-MM-Y

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा की विशिष्टियां, यदि कोई है:

(क) संगठन का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि		
		से	तक	कुल अवधि

(घ) क्या उपरोक्त सेवा सरकार में उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है			हां /नहीं
(ङ) क्या स्वायत्त संगठन ने उपदान संबंधी दायित्व का निर्वहन केंद्रीय सरकार को किया है			हां /नहीं
(च) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त उपदान की रकम, यदि कोई है		(छ) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन की प्रकृति, यदि कोई है	

6. मृत्यु उपदान के लिए अर्हक सेवा:

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 36 (1) के अधीन]			
(ख) अनर्हक सेवा की अवधियां:	से	तक	दिनों की सं.
नियम 18 और नियम 19 के अधीन माफ किया गया सेवा में व्यवधान			
असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है			
निलंबन की अवधि जिसे अनर्हक सेवा माना गया			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए उपदान का अंशदान सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है (नियम 20)			
कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है			
अनर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन:	से	तक	दिनों की सं.
किसी स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ			
(घ) शुद्धअर्हक सेवा			

(ङ) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 22)			
7. मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां		**8. मृत्यु उपदान की रकम**	
9. मृत्यु उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे:			
(क) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस (नियम 54 देखें)			
(ख) सम्पदा निदेशालय द्वारा यथा उपदर्शित विधारित की जाने वाली रकम [नियम 54(i) देखें)].			
(ग) नियम 54(2) में निर्दिष्ट शोध्य			
(घ) मृत्यु उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम			

10. नामनिर्देशिती(यों) के ब्यौरे जिनको मृत्यु उपदान संदेय है:

क्रम सं.	(क) नाम	(ख) जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)		(घ) मृत्यु उपदान में अंश	(ङ) मृत सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(च) पता
1.						
2.						
3.						

11. संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त संतान की दशा में मृत्यु उपदान का संदाय प्राप्त करेंगे

क्रम सं.	(क) अवयस्क/ मानसिक निःशक्त संतान का नाम	(ख) संरक्षक का नाम		(घ) मृत सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(ङ) संरक्षक का पता
1.					
2.					
3.					

12. **लेखाशीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान विकलनीय है**

स्थान:

तारीख: DD-MM-YYYY

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

अनुभाग 2

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का संदाय) नियम, 2021 के नियम 50 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम उपदान के आहरण और संवितरण के ब्यौरे

मृत्यु उपदान	रुपये.....

स्थान:

तारीख: DD-MM-YYYY

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग 2
लेखामुखांकन
अनुभाग 1

मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि	
सरकारी शोध्यों के समायोजन के पश्चात मृत्यु उपदान की शुद्ध रकम	
लेखाशीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान विकलनीय है	

अनुभाग 2

मृतक सरकारी कर्मचारी के ब्यौरे			
नाम		मृत्यु की तारीख	D D M M Y Y Y Y
प्राधिकृत उपदान की रकम		उपदान से वसूली योग्य रकम	
'बेबाकी प्रमाणपत्र' की प्राप्ति के लंबन पर विधारित उपदान की रकम			
संदाय की गई अनंतिम उपदान की रकम, यदि कोई है			
वसूलीयां, विधारित उपदान और अनंतिम उपदान, यदि कोई है, की कटौती करने के बाद उपदान की शुद्ध रकम			

स्थान:

तारीख: DD-MM-YYYY

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

860950/2021/Coordination Section

प्रोफॉर्मा क

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

[नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में उपदान के दावे के लिए]

[नियम 24 देखिए]

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क) ..... (ख) .....जो दिवंगत (ग) .....की/के.....(विधवा/पुत्र/ भाई, इत्यादि) हैं और..... के निवासी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बाध्यताधारी' कहा गया है) और (घ)..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और .....के निवासी हैं और ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और ..... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिभू' कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय .....रूपए (.....रूपए मात्र) की धनराशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण तथा सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज तारीख..... मास .....दो हजार ..... को हस्ताक्षरित।

और (ग) दिवंगत..... अपनी मृत्यु के समय सरकारी सेवा में था।

और उक्त (ग).....की मृत्यु तारीख ..... मास..... 20..... को हुई तथा उसकी मृत्यु के समय उसके अवयस्क पुत्र/पुत्री के अंश के लिए .....रूपए (.....रुपए मात्र) मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान देय था।

और बाध्यताधारी, उक्त (ग) ..... के अवयस्क पुत्र/पुत्री के वास्तविक संरक्षक होने के नाते उक्त राशि का हकदार होने का दावा करता है परंतु अब तक, कथित अवयस्क (अवयस्कों) के सबंध में किसी सक्षम न्यायालय से संरक्षक होने का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है।

और बाध्यताधारी ने (ड.)..... का समाधान कर दिया है कि वह पूर्वोक्त धनराशि पाने का हकदार है और यह कि उक्त .....रूपए की राशि के भुगतान से पहले यदि बाध्यताधारी को सक्षम न्यायालय से संरक्षक होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़नी है तो उससे अनुचित देरी और कठिनाई होगी।

और सरकार को बाध्यताधारी को उक्त राशि का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सरकारी नियमों और आदेशों के अधीन बाध्यताधारी के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त राशि का भुगतान किए जा सकने से पूर्व उक्त (ग) को पूर्वोक्त देय राशि हेतु सभी प्रकार के दावों के लिए सरकार को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिभू/दो प्रतिभुओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे।

और बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभुओं, इसमें आगे निहित शर्तों और तरीके से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के पश्चात्, पूर्वोक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में बाध्यताधारी और/ या प्रतिभुओं..... रूपए की उक्त राशि सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और उक्त दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के

संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी है कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबन्धित किसी कानून के अधीन कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करनी है।

इसके साक्ष्यस्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू/प्रतिभुओं ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(गवाह का नाम व पदनाम) की उपस्थिति में.....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

टिप्पण 1. (क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम और पता

(ख) दिवंगत कर्मचारी से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) दिवंगत सरकारी कर्मचारी का नाम

(घ) पिता/पति का पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

(ङ.) भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी का नाम

टिप्पण 2. इस बंधपत्र के वैध या बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभूवयस्क हो चुके हों।

प्रोफॉर्मा ख

क्षतिपूर्तिबंध-पत्र

[लापता कर्मचारी की दशा में]

[नियम 23 देखिए]

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क).....(ख).....,दिवंगत (ग).....,जो .....मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में ..... पद धारण कर रहे थे, तारीख ..... से लापता हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'लापता सरकारी कर्मचारी' कहा गया है), की/के.....(विधवा/पुत्र/ भाई, इत्यादि) हैं, और..... के निवासी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बाध्यताधारी' कहा गया है) और (घ)..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और .....के निवासी हैं और ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और..... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिभू' कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय .....रूपए (.....रूपए मात्र) वेतन, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के संदाय और मासिक कुटुंब पेंशन की प्रत्येक रकम के समतुल्य धनराशि का.....% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज तारीख..... मास .....दो हजार ..... को हस्ताक्षरित

और (ग) ..... अपने लापता होने के समय सरकारी सेवा में था और सरकार से प्रतिमास.....रूपए (.....रुपए मात्र) वेतन प्राप्त कर रहा था।

और उक्त (ग)..... तारीख ..... मास..... 20..... को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें (i) बकाया वेतन (ii) छुट्टी नकदीकरण (iii) मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान देय था।

और बाध्यताधारी.....रूपए (.....रुपए मात्र) कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत पाने का हकदार है।

और बाध्यताधारी ने उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा किया है और अनुचित विलंब और कठिनाइयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

और सरकार .....रूपए (.....रुपए मात्र) की राशि और .....रूपए (.....रुपए मात्र) की दर से मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है किन्तु उपरोक्त लापता सरकारी कर्मचारी को देय रकम के लिए सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभुओं को उपर्युक्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और तरीके से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता कर्मचारी के अपने प्रकट होने की दशा में ..... रूपए(.....रुपए मात्र) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्तराशि का दावा किए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू..... रूपए(.....रुपए मात्र) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत.....% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के

860950/2021/Coordination Section

संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इस का भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबन्धित किसी कानून के अधीन कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करनी है।

इसके साक्ष्यस्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(गवाह का नाम व पदनाम) की उपस्थिति में .....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

टिप्पण 1.(क) दावकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम और पता

(ख) 'लापता सरकारी कर्मचारी' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) लापता सरकारी कर्मचारी का नाम

(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

टिप्पणी 2. इस बंधपत्र के वैध या बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण 3. साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित लोक भविष्य निधि की दर होगी।

[फा. सं. 59/03/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी)]

संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव